राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

का

संगम ज्ञापन

i. कंपनी का नाम **राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड** है ।
ii. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में क्स्थत होगा ।
iii. कंपनी को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं :

क. कंपनी के निगमन पर कंपनी द्वारा प्राप्त किए जानेवाले कंपनी के मुख्य उद्देश्य

1. भारत में अथवा विश्व के किसी भी भाग में उर्वरकों, भारी रसायनों, भारी पानी एवं उनके उप उत्पादों, सभी आर्गेनिक और इनआर्गेनिक रसायनों, यौगिकों और उप उत्पादों, संजात और उनके मिश्रणों सहित किसी भी प्रकार के उत्पादों से संबंधित सभी प्रकार का व्यवसाय करना और विशेषकर विनिर्माण, भंडारण, पैकिंग, वितरण, परिवहन, परिवर्तन, रखरखाव का व्यवसाय करना और क्रय, विक्रय, अदला-बदली, परिवर्तन, सुधार और उर्वरकों के व्यापार, कृत्रिम रसायनों, भारी रसायनों, भारी पानी और उनके उप-उत्पादों, आर्गेनिक तथा इनआर्गेनिक रसायन यौगिकों, सीमेंट, कोक और उनके उप-उत्पादों तथा किसी भी प्रकृति अथवा प्रकार के उत्पादों से संबंधित सभी प्रकार की अथवा किसी प्रकार की सहायता और सेवाएँ प्रदान करना है, चाहे उनकी आवश्यकता सिविल, वाणिक्ज्यक या सैनिक प्रयोजनों या आवश्यकताओं के लिए या अन्यथा हो ।
2. भारत अथवा विश्व के किसी भाग में अपनी सभी शाखाओं में रासायनिक, यांत्रिक, सिविल और विद्युत इंजीनियरी के कारोबार को चलाना ।

ख. मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रासंगिक अथवा अनुषंगी उद्देश्य

3. उन सभी प्रकार के सामान और वस्तुओं का (जिसमें सभी प्रकार के वाहन, और सभी घटक भाग, फिटिंग, उपकरण, औजार, उप साधन, सामग्रियाँ और सभी सामान और वस्तुएँ जो किसी भी प्रकार से उसके संबंध में प्रयोग किया जाता हो, शामिल है) विनिर्माण, भंडारण, अनुरक्षण, बिक्री, खरीद, विनिमय, मरम्मत, फेरफार या अदला-बदली, किराये पर लेना, किराये पर देना, आयात और निर्यात करना, और लेन-देन (डील) करना, जिनकी कंपनी के किसी कारोबार के प्रयोजन में आवश्यकता हो अथवा ऐसे किसी व्यवसाय में लगे हुए व्यक्क्तयों द्वारा जिन्हें सामान्यतया सप्लाई किया जाता हो अथवा कंपनी के किसी व्यवसाय के संबंध में जिनका लाभप्रद तरीके से विनिमय किया जा सकता हो ।
4. कंपनी के व्यवसाय से संबंधित फैक्टरियों, टाउनशिप, भूसंपत्ति, रेल्वे साइडिंग, भवन, यार्डों, कुओं, जलाशयों, नालियों, पंपिंग संस्थापनाओं, शुद्धीकरण संयंत्रों, पाइपलाइनों, अवतरण-भूमि (लँडिंग ग्राउंड), विमानशालाओं, गैराजों, भंडारण शेडों और सभी प्रकार की जगहों का अर्जन, स्थापना, निर्माण, उपलक्ब्ध और उनका अनुरक्षण तथा देख-रेख करना ।
5. कंपनी के व्यवसाय अथवा उसके लिए प्रासंगिक किसी भी प्रकार से आवश्यक पानी की पर्याप्त आपूर्ति को सुरक्षित करने के प्रयोजन से कुओं, नलकूपों, जलाशयों, नहरों, पुश्तों, जलवाही सेतुओं, बांधों, बराजों, अन्त:श्रुत गैलरियों और इसी प्रकार के अन्य यंत्रों को प्राप्त करना, उनका निर्माण करना, उन्हें उपलब्ध कराना और उन्हें अनुरक्षित करना ।
6. कंपनी के व्यवसाय के संबंध में आवश्यक वाष्प शक्क्त और अन्य उपयोगिताओं को पैदा करने के लिए सुविधाओं को प्राप्त करना, उनकी स्थापना, निर्माण करना, उन्हें उपलब्ध करवाना और उन्हें अनुरक्षित करना ।
7. किसी भी ऐसे व्यवसाय को, जिसे करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है अथवा ऐसे व्यवसाय में लगे हुए व्यक्क्तयों द्वारा जिसे सामान्यत: लेन-देन किया जाता है, चलाने के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक सभी प्रकार के संयंत्र और मशीनरी, वैगनों, रोलिंग स्टॉक, गाड़ियों, उपकरणों, यंत्रों, बर्तनों, सामग्रियों

और वस्तुओं का विनिर्माण, खरीद, बिक्री, विनिमय, संस्थापन, निर्माण, फेरफार, सुधार करना, चलाना, बाजार के लिए तैयार करना, आयात या निर्यात करना अथवा अन्य तरीके से लेन-देन करना ।

8. मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में और अन्य स्थानों पर, अपनी सभी संबंधित शाखाओं में, कोयला-खान मालिकों, खनिकों, ठेकेदारों, व्यापारियों, आयातकों और किसानों के व्यवसाय को चलाना ।

9. कंपनी द्वारा विनिर्मित अथवा खरीदे गए अथवा उसके मालकियत के सामानों के, भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से, संवाहकों के व्यवसाय को चलाना ।

10. भूमि, भवनों, निर्माण-कार्यों, खानों, खनिज भडारों, खनन अधिकारों, बागानों, जंगलों और उनसे संबंधित किन्हीं अधिकारों, और विशेषाधिकारों अथवा हितों को खरीदना, रियायत के लाइसेंस अथवा अन्य तरीके से पट्टे पर लेना और उनका अन्वेषण, कार्य, निष्पादन, विकास करना और उसका हिसाब देने के लिए लौटाना ।

11. सभी किस्मों के और सभी संयोजनों के विस्फोटकों, गोला-बारूदों, पटाखों और अन्य विस्फोटक उत्पादों और अनुषंगिकों के विनिर्माताओं और डीलरों के व्यवसाय को चलाना, चाहे इनका प्रयोग सेना, खेल-कूद, खनन, उद्योग के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन से होता हो ।

12. किसी सरकार, राज्य अथवा किसी प्राधिकरण से लाइसेंसों, रियायतों, अनुदानों, डिक्री, अधिकारों, शक्क्तयों और विशेषाधिकारों, अथवा कुछ भी प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करना, खरीदना अथवा अन्य तरीके से प्राप्त करना, जिससे कंपनी को लाभ होता प्रतीत हो और उन पर कार्य करना, उनका विकास करना, कार्याक्न्वत करना, प्रयोग करना और उनसे लाभ उठाना ।

13. अप्रतिबंधित रूप से अथवा सशर्त रूप से एकल अथवा अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से विनिमय से या समामेलन, पुनर्निर्माण, व्यवस्था अथवा पुनर्व्यवस्था से, लाइसेंस अथवा रियायत अथवा अन्यथा खरीदना, पट्टे पर लेना अथवा विनिमय में लेना और कंपनी के व्यवसाय की किसी भी किस्म अथवा प्रकार के एक्सचेंज, सड़कों, नहरों, पानी के मार्गों, नौकाओं, पोतघाटों, हवाईअड्डों, भूमियों, भवनों, माल गोदामों, निर्माण-कार्यों, फैक्टरियों, मिलों, वर्कशापों, रेलवे साइडिंग, ट्राम के रास्तों, इंजिनों, मशीनरी और उपकरणों, जल अधिकारों (वॉटर राइट) वे लीव्ज, ट्रेड मार्क्स, पेटेंट और डिजाइन, विशेषाधिकारों, अथवा अधिकरों को बनाना, उनका निर्माण करना, उनका अनुरक्षण करना, उन पर काम करना, उन्हें किराए पर लेना, नियंत्रण में रखना, उनमें सुधार करना, उन्हें बदलना, उनका प्रबंध करना, उन्हें भाड़े पर उठाना, बेचना, और निपटाना ।

14. भारत में और अन्यत्र, सभी प्रकार के निर्माण-कार्यों और सुविधाओं, इस ज्ञापन में जिसे अभिव्यक्त किया है, ऐसे रेल्वे, ट्राम के रास्ते, रज्जु मार्ग, गोदियों, बंदरगाहों, पोत-घाट, जहाज-घाट, नहरें, जलाशय, तटबधों, सिंचाई के साधनों, भूमि-उद्धार, सुधार, मल-व्यवस्था, जल-निकास मार्ग, स्वास्थ्य-इकाई, जल, गैस, विद्युत प्रकाश संबंधी, टेलीफोन, तार संबंधी और ऊर्जा आपूर्ति के निर्माण कार्य और होटलों, माल-गोदामों, बाजारों और निजी और सार्वजनिक भवनों और अन्य सभी निर्माण कार्यों और सुविधाओं, उनका निर्माण, निष्पादन, कार्यान्वियन, सुधार, विकास, प्रशासन, प्रबंध अथवा नियंत्रण करना ।

15. निर्माण, निष्पादन, कार्यान्वियन, सुधार करने, प्रबंध, प्रशासन अथवा निर्माण-कार्य का नियंत्रण करने अथवा सुविधा के संबंध में अथवा उसके लिए किसी ठेके और रियायतों के लिए आवेदन करना, निविदा करना, खरीदना अथवा अन्य तरीके से प्राप्त करना और इसका उत्तरदायित्व लेना, निष्पादित करना, कार्याक्न्वत करना, निपटाना अथवा अन्य तरीके से उससे लाभ उठाना।

16. कंपनी अथवा कंपनी के व्यवसाय से संबंधित या किन्हीं अन्य संगठनों, कंपनियों, प्राधिकरणों अथवा सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित, अनुरक्षित और प्रचालित करना ।

17. अनुसंधान प्रयोगशालाओं को स्थापित करना, प्रबंध करना, अनुरक्षित करना और चलाना या अन्य रियायतें प्रदान करना, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के लिए कक्ष (सेल) और प्रायोगिक कार्यशालाओं का डिजाइन करना, निर्माण कार्यों और प्रयोगों का डिजाइन करना, ताकि हर प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान प्रयोगों और परीक्षणों को चलाया जा सके, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, पुस्तकालयों, व्याख्यानों, बैठकों और सम्मेलनों की व्यवस्था करके, उन्हें रियायत प्रदान करना और सहायता प्रदान कर और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोफेसरों या अध्यापकों के पारिश्रमिकों की व्यवस्था करके या उनमें योगदान देकर और छात्रों की छात्रवृत्तियां, पुरस्कारों और अनुदानों की व्यवस्था करके या उनमें अंशदान कर या अन्यथा और सामान्य तौर पर ऐसे, अध्ययनों, अनुसंधानों, अन्वेषणों, प्रयोगों, परीक्षणों और किसी प्रकार के

अधिकारों को प्रोत्साहित, प्रोनत और पुरस्कृत करना जिनसे किसी कार्य, व्यापार में सहायता होने की संभावना हो, जिसे चलाने के लिए उक्त प्रयोजन के लिए सरकार से या भारत में या अन्यत्र किसी अन्य पक्ष के साथ करार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत किया गया है ।

18. कंपनी के व्यवसाय से संबंधित हर प्रकार के और किसी प्रकार के एजेंसी कार्य चलाने के लिए और सरकारों अथवा प्राधिकरणों अथवा किन्हीं विनिर्माताओं, व्यापारियों और अन्यों के लिए एजेंट के रूप में काम करना ।

19. इस कंपनी के उद्देश्यों के समान अथवा आंशिक रूप से समान उद्देश्य रखनेवाली किसी अन्य कंपनी के शेयर लेना अथवा अन्य तरीके से प्राप्त करना और धारण करना और किसी अन्य कंपनी में शेयर लेने अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने के लिए, किसी अन्य ऐसी कंपनी में एकत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से अथवा अन्य के साथ शेयर की हामीदारी देना (अंडर राइट करना) यदि ऐसे शेयरों को प्राप्त करने से कंपनी के व्यवसाय अथवा हितों को आगे बढ़ावा देने अथवा लाभ-प्रदान करने की संभावना हो ।

20. प्रबंधकों के और एजेंटों के व्यवसाय को चलाने के लिए स्वयं अथवा अन्य कंपनियों अथवा भागीदारों में अथवा संस्थाओं के साथ, जिनके उद्देश्य इस कंपनी के उद्देश्यों से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से समान हों, को प्रतिफल के साथ या बिना किसी प्रतिफल के और/अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित करना अथवा अपने अधिकार में लेना ।

21. किसी कंपनी या भागीदार के साथ भागीदारी अथवा किसी संयुक्त प्रयोजन अथवा लाभ में हिस्सा बंटाने की व्यवस्था में सक्म्मलित होना अथवा प्रवेश करना और किसी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्क्त को किसी प्रकार सहयोग करना, सहायता करना अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

22. किसी कंपनी की प्रगति को बढ़ावा देना अथवा उसके लिए सहमति देना, जिसकी प्रगति को वांछित समझा जाए ।

23. कंपनी अथवा उसके किसी भाग के व्यवसाय के अधिक सक्षम कार्य-संचालन के लिए कोई ठेका अथवा करार करना और समय समय पर किन्हीं ठेकों को पट्टे पर देना ।

24. किसी व्यक्क्त, फर्म अथवा कंपनी के व्यवसाय, संपत्ति और देयताओं को पूर्ण अथवा आंशिक तौर से प्राप्त करना और उनकी जिम्मेदारी लेना, जो ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं, जिसे करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है अथवा उनके पास इस कंपनी के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त संपत्ति हो ।

25. लाभ में भागीदार होने, लाभों के एकीकरण, समायोजन, हितों के एकीकरण, सहयोग, संयुक्त उद्यम, पारस्परिक रियायतों के आदान-प्रदान के लिए या अन्यथा भागीदारी में शामिल होना या करार करना या किसी ऐसे व्यक्क्त या कंपनी के साथ समामेलन करना जोकि ऐसा कार्य व्यापार या सौदा कर रहा है या जोकि ऐसा कार्य व्यापार या सौदा करनेवाला है जिस व्यापार, अधिकरण या सौदे के लिए कंपनी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्रतीत हो ।

26. कंपनी द्वारा, इस कंपनी में शेयरों में अथवा आंशिक रूप से शेयरों में और आंशिक रूप से नकद अथवा अन्यथा अर्जित किन्हीं संपत्तियों, अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों के लिए भुगतान करना ।

27. इस कंपनी की किसी संपत्ति और देयताओं को अर्जित करने के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिससे कंपनी अथवा किसी सहायक कंपनी अथवा कंपनियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ हो, किसी व्यवसाय को जारी रखने, जो कंपनी के व्यवसाय अथवा लक्ष्यों के साथ सुविधाजनक रूप से चलाए जाने में समर्थ हो और किसी उद्योग अथवा उपक्रम में किसी हित का अर्जन करने के लिए किसी संस्थान अथवा कंपनी के निर्माण को प्रोनत करना और उसका निर्माण करना ।

28. किसी पेटेंट, पेटेंट अधिकार, अधिकार के आदेश पत्र, लाइसेंसों, रक्षाओं और रियायतों को जोकि कंपनी के लाभ के लिए लाभकारी प्रतीत हो, भारत में या अन्यत्र खरीदने या अन्य तरीकों से अर्जित करने, रक्षित करने या दीर्घ करने या उसका नवीकरण करने, इस्तेमाल करने और उससे लाभ कमाने या उसका लाइसेंस के अधीन विनिर्माण करने और किसी पेटेंट अधिकार या अधिकार के अनुप्रयोग और परीक्षण, सुधार करने के लिए धन का व्यय करना, जिन्हें कंपनी अर्जित करें या अर्जित करने का प्रस्ताव करें ।

29. ऐसे व्यक्क्तयों को और ऐसी शर्तों पर अचल संपत्ति को बंधक रखकर और आडमान (हायपोथिकेशन) अथवा चल संपत्ति को गिरवी रखकर अथवा प्रतिभूति के बिना पैसे उधार देना, जो विशेषतया कंपनी के ग्राहकों और कंपनी से डीलिंग रखने वाले व्यक्क्तयों के लिए लाभकर प्रतीत हो ।

30. सभी और प्रत्येक प्रकार के उपकरणों अथवा यंत्रों सहित कंपनी की किसी भी सपत्ति को, चाहे वह अचल हो अथवा चल, भाड़े पर देना ।

31. किन्हीं ठेकों अथवा बाध्यताओं के निष्पादन के लिए गारंटी देने अथवा जमानती बनने के लिए प्रतिभूति-विहीन अथवा प्रतिभूति-युक्त धन के भुगतान को गारंटी देना ।

32. चेकों, वचन-पत्रों, विनिमय पत्रों, लदान-पत्रों डिबेंचरों और अन्य परक्राम्य अथवा अंतरणीय लिखतों को बनाना, आहरण करना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, निष्पादित करना और जारी करना ।

33. ऐसे धन का, जिसकी कंपनी को तुरंत आवश्यकता न हो किन्हीं प्रतिभूतियों, शेयरों, निवेशों और चल और अचल संपत्तियों में इस तरीके से निवेश करना और लेन-देन करना, जिसे समय-समय पर निर्धारित किया जाए और इसकी बिक्री, अंतरण अथवा इसका लेन-देन करना ।

34. ब्याज पर, जमा राशि पर इस तरीके से पैसे उधार लेना, एकत्र करना अथवा धन प्राप्त करना अथवा अन्यथा जिसे कंपनी उपयुक्त समझे और विशेषकर सतत या अन्यथा डिबेंचरों या डिबेंचर स्टाकों जिसमें डिबेंचर और डिबेंचर स्टाक शामिल हैं जिन्हें इस कंपनी के शेयरों में या सतत एम्यूनिटी में या कंपनी की संपत्ति, परिसंपत्ति या राजस्व में वर्तमान या भावी या उनके किसी अंश में परिवर्तित किया जा सकता है । इसमें यह अनाहूत पूँजी, समनुदेशन द्वारा या अन्यथा शामिल है या जो पूर्ण रूप से अंतरित या संप्रेषित की जा सके और ऐसी किसी प्रतिभूतियों की खरीद या उनका शोधन या उनका समायोजन किया जा सकता है ।

35. किसी मूल्य-हास निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप निधि, बीमा निधि या किसी अन्य विशेष या अन्य निधि का सृजन करना, चाहे मूल्य-हास के लिए या कंपनी की किसी संपत्ति की मरम्मत, सुधार, विस्तार या अनुरक्षण के लिए या डिबेंचरों या परिशोधन योग्य तरजीही शेयरों के परिशोधन के लिए या विशेष लाभांशों के लिए या लाभांशों के समीकरण के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी किसी निधि को या उसके किसी अंश को पूर्वोक्त किसी निधि में स्थानांतरित करना।

36. किसी कंपनी, संघ, संस्था अथवा निगमित निकाय की सदस्यता के लिए आवेदन करना अथवा उसका सदस्य बनना, जिसके कोई उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों के समान अथवा समरूप हो, अथवा उनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हितों में वृद्धि होती हो ।

37. कंपनी को, कंपनी के किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो उपयुक्त प्रतीत होता हो, आवश्यक सभी शक्क्तयों या प्राधिकारों को प्राप्त करने के लिए भारत में या अन्यत्र किसी विधान मंडल के आदेश या अधिनियम प्राप्त करना या किसी देश, राज्य या उपनिवेश के प्राधिकारियों से आदेश, अधिनियम या प्राधिकार प्राप्त करना या आवेदन देकर किसी ऐसी कार्रवाई का विरोध करना जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के हितों को हानि होने की संभावना है ।

38. भारत सरकार या भारत में किसी स्थानीय या राज्य सरकार से या किसी अन्य राज्य, देश या उप निवेश की सरकार से या किन्हीं अन्य प्राधिकारियों, स्थानीय या अन्यथा से या किसी व्यक्क्त, फर्मों, संघों या निगमों से ऐसे विषयों के बारे में करार करना, जोकि कंपनी के उद्देश्यों या उनमें से किसी एक के अनुरूप प्रतीत हो और उनसे कोई शक्क्तयां, अधिकार और विशेषाधिकार, लाइसेंस, अनुदान और रियायतें प्राप्त करना जिन्हें कंपनी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझे और ऐसे किसी व्यवस्था, अधिकारों, विशेषाधिकारों या रियायतों को अमल में लाना ।

39. इस कंपनी के कार्य व्यापार या किसी अन्य कंपनी के कार्य व्यापार जिसमें इस कंपनी की रूचि हो, और जो उपयुक्त हो, के बारे में लोगों में जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे साधन अपनाना जो उपयुक्त प्रतीत हो और विशेष रूप से समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन और सिनेमाघरों में विज्ञापन द्वारा, परिपत्रों द्वारा, कलाकृतियों की खरीद और प्रदर्शनी, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा, प्रतियोगिताओं का आयोजन करके और पुरस्कार, पारितोषिक, प्रीमियम और दान देकर क्षेत्रीय प्रदर्शनों की व्यवस्था करके और ऐसी अन्य संवर्धनात्मक गतिविधियों का आयोजन करके जैसा कि आवश्यक समझा जाए ।

40. मकानों या चालों का निर्माण करके या भवनों के निर्माण में योगदान करके या धन देकर, पेंशन, भत्ते, बोनस या भुगतान या भविष्य निधि का सर्जन करके या उनमें और अन्य संघों, संस्था निधियों या ट्रस्टों में योगदान करके या शिक्षा और मनोरंजन के संस्थानों, अस्पतालों और औषधालयों में योगदान या अंशदान करके, डाक्टरी और अन्य उपचार की व्यवस्था करके, जैसा कि कंपनी उपयुक्त समझे और खैराती, लाभकारी, धार्मिक, वैज्ञानिक राष्ट्रीय, सार्वजनिक और अन्य संस्थाओं, बातों या प्रयोजनों में योगदान करके या उनकी सहायता करके या उन्हें दान देकर कंपनी के कर्मचारियों या भूतपूर्व कर्मचारियों और ऐसे व्यक्क्तयों की पक्त्नयों और परिवारों या आश्रितों या संबंधितों के कल्याण के लिए व्यवस्था करना ।

41. कंपनी की किसी संपत्ति को, कंपनी के समाप्त होने की क्स्थति में, सदस्यों के बीच में, पैसों अथवा माल के रूप में इस प्रकार बांट देना, ताकि फिलहाल विधि द्वारा अपेक्षित स्वीकृति (यदि कोई हो, तो) के बिना ऐसा कोई वितरण नहीं किया जा सके जिससे कि पूँजी की कमी हो ।

42. किसी व्यक्क्त, फर्म या कंपनी को कंपनी की पूँजी में कोई शेयर, कंपनी के डिबेंचर या डिबेंचर स्टाक या अन्य प्रतिभूतियाँ रखने या रखने में सहायता देने के लिए या रखने की गारंटी देने में की गई सेवाओं या की जानेवाली सेवाओं के लिए या कंपनी के निर्माण या संवर्धन या इसके कार्य व्यापार को चलाने के लिए की गई सेवाओं या की जानेवाली सेवाओं के लिए पारिश्रमिक देना ।

43. किसी खैराती या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए समर्थन, अंशदान या योगदान देना, या उन व्यक्क्तयों के पुनर्वास से संबंधित किसी योजना में, जिन्हें कंपनी के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के लिए विस्थापित होना पड़ा है या किसी ऐसी संस्थान, सोसायटी और व्यक्क्तयों के संघ को समर्थन, अंशदान या योगदान देना जो कंपनी के लाभ के लिए हो और जिसमें कंपनी को अपने कार्य व्यापार के संबंध में या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रूचि हो ।

44. सभी अथवा उपर्युक्त में कोई और सभी ऐसे अन्य कार्य करना, जो प्रासंगिक हैं अथवा उपर्युक्त उद्देश्यों अथवा उनमें से किसी को प्रमुखों, एजेंटों, ठेकेदारों, न्यासियों अथवा अन्यथा के रूप में और अकेले अथवा अन्य लोगों के सहयोग से प्राप्त करने में सहायक समझे जाए ।

45. माल, स्टोर, उपभोज्य स्टोर, चल संपत्ति और सभी प्रकार के सामानों को थोक और खुदरा दोनों में खरीदना, बेचना, विनिर्माण करना और लेन-देन करना, जैसा कि कंपनी के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना अपेक्षित है ।

ग. अन्य उद्देश्य

46. विद्युत आपूर्ति कंपनी के व्यवसाय को चलाना और ऐसे व्यवसाय के आनुषंगिक सभी कार्यों को करना ।

47. विद्युत अथवा किसी अन्य ऊर्जा, जिसका एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सके, उत्पादन, संचय, वितरण, आपूर्ति और नियोजन के संबंध में टेलीग्राम, टेलीफोन, फोनोग्राम, रेडियो संचारण अथवा रिसिविंग केन्द्रों अथवा सेट डायनामो, एकुमुलेटरों और सभी उपकरणों के उपयोग अथवा विनिर्माण करने और स्थापित करने का अधिकार अर्जित करने के लिए किसी उपक्रम अथवा कंपनी में शेयर अर्जित करना अथवा उन्हें धारण करना । अत: एक्सचेंज के निर्माण सहित सभी केबलों, तारों अथवा एक दूरी पर एक उपकरण को दूसरे उपकरण से जोड़ने के लिए उपकरणों सहित अथवा और

48. टेलीफोन और इसी किस्म के, कार्यों, मशीनी उपकरण, सुविधाएं, और विशेषतया कोई केबल, तार, लाइनों, केन्द्रों, एक्सचेंजों, जलाशयों, एकुमुलेटरों, मोटरों और इंजिनों का निर्माण, अनुरक्षण, कार्य करना, बेचना, भाड़े पर देना और इनका लेन-देन करना।

एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस ज्ञापन में शब्द च्कंपनीछ को जब इस कंपनी से अन्यथा लागू किया जाता है तो उसमें किसी प्राधिकारी, भागीदारी, अथवा व्यक्क्तयों को, कोई अन्य निकाय को, जो चाहे निगमित हो अथवा न हो, शामिल समझा जाएगा ।

इस धारा की उप धारा में दिए गए उद्देश्य किसी अन्य उप धारा की शर्तों के संदर्भों में या संदर्भों से किसी प्रकार से सीमित या परिसीमित नहीं होंगे । इनमें से कोई भी उप धारा अथवा उसमें दिए गए उद्देश्यों या उनसे प्रदत्त शक्क्तयों को केवल इसीलिए आनुषंगिक या सहायक नहीं माना जाएगा कि उनका संबंध इस धारा की पहली उपधारा में उक्ल्लखित उद्देश्यों से है । परंतु कंपनी को विश्व के किसी भी भाग में इस धारा के अंग के रूप में प्रदत्त शक्क्तयों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस बात के बावजूद कि जिन कारोबारों, अधिकरणों, संपत्ति या कार्यों का सौदा किए जाने, उन्हें अर्जित करने, लेन-देन करने या निष्पादित करने का प्रस्ताव है, वे उद्देश्य इस धारा की पहली उप धारा के भीतर नहीं आते हैं ।

(चार) सदस्यों की देयता सीमित है ।

(पांच) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 800 करोड़ रूपये है (मात्र रूपये आठ सौ करोड़) जिसे रू.10/- (मात्र रूपये दस) प्रत्येक के 80,00,00,000 (मात्र अस्सी करोड़) इक्क्वटी शेयरों में बांटा गया है ।

(इस प्रपत्र के संबंध में स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार और अन्य व्ययों का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा) ।

हम कई व्यक्क्त, जिनके नाम और पते नीचे अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी का निर्माण करने के इच्छुक हैं और हम अपने नामों के सामने लिखी गई संख्या में कंपनी की पूँजी में शेयर लेने के लिए क्रमश: सहमत हैं:

क्रम सं.	अंशदाता का नाम	विवरण, व्यवसाय और पता	शेयरों की संख्या	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षी का नाम, विवरण, पता, व्यवसाय और हस्ताक्षर
1	एस.एम केळकर	भारत के राष्ट्रपति की ओर से श्री एस.एम.केळकर, संयुक्त सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा	3(तीन)	एस.एम. केळकर	के.पी. श्रीवास्तव, उप सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली
2	रामास्वामी आर. अय्यर	भारत के राष्ट्रपति की ओर से श्री रामास्वामी आर. अय्यर, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा	2(दो)	रामास्वामी आर. अय्यर	
कुल शेयरों की संख्या 5 (पांच)					

दिनांक 4 मार्च, 1978

संगम अनुच्छेद

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

का

संगम अनुच्छेद

प्रारंभिक

1.	जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन अनुच्छेदों में दिए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जोकि अधिनियम में या उस तारीख को लागू किसी सांविधानिक संशोधन में दिया गया है, जिस तारीख को ये अनुच्छेद कंपनी के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं ।	निर्वचन
	हाशिये में दी गई टिप्पणियां सुविधा के लिए हैं और इनका इसकी रचना पर और यहां जो कुछ दिया गया है उस पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि वे विषय या संदर्भ के असंगत न हो:	च्परिभाषाएछ
(क)	च्अधिनियमछ से अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 1956 से है और इसमें फिलहाल लागू कोई भी सांविधिक संशोधन या उसका पुन:अधिनियम शामिल होगा ।	च्अधिनियमछ
(ख)	च्वार्षिक साधारण बैठक (आम सभा)छ से अभिप्राय : अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित आम सभा है ।	च्वार्षिक आम सभाछ
(ग)	च्मंडल या निदेशक मंडलछ से अभिप्राय : विधिवत बुलायी या गठित निदेशकों की बैठक या जैसी भी स्थिति हो, मंडल में एकत्रित निदेशकों या इन्हीं अनुच्छेदों के अनुसार परिचालन द्वारा संकल्प पारित करने के हकदार अपेक्षित संख्या में निदेशकों से है ।	च्मंडल या निदेशक मंडलछ
(घ)	च्पूँजीछ से अभिप्राय : कंपनी के प्रयोजन के लिए फिलहाल एकत्रित की गई या प्राधिकृत पूँजी से है ।	च्पूँजीछ
(ङ)	च्कंपनीछ या च्इस कंपनीछ से अभिप्राय : राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. से है ।	च्कंपनी या इस कंपनीछ
(च)	च्निदेशक गणछ से अभिप्राय फिलहाल कंपनी के निदेशकों या जैसी भी स्थिति हो, मंडल में एकत्रित निदेशकों से है ।	च्निदेशक गणछ
(छ)	च्लाभांशछ में बोनस शामिल है ।	च्लाभांशछ
(ज)	च्असाधारण बैठकछ से अभिप्राय : विधिवत बुलायी और गठित सदस्यों की असाधारण बैठक या किसी पूर्व स्थगित बैठक के आयोजन से है ।	च्असाधारण बैठकछ
(झ)	च्निष्पादकछ या च्प्रशासकछ से अभिप्राय : उस व्यक्ति से है जिसने यथास्थिति सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाण प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र प्राप्त कर लिए हैं।	च्निष्पादकछ

च्वित्तीय वर्षछ	(ञ)	च्वित्तीय वर्षछ से अभिप्राय : अधिनियम की धारा 210 की उप धारा 4 के अधीन, ऐसी अवधि से है जिसके बारे में कंपनी के हानि लाभ लेखे को वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है । यह निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा की वह अवधि एक वर्ष है या नहीं ।
च्साधारण बैठकछ	(ट)	च्साधारण बैठकछ या च्बैठकछ से अभिप्राय : सदस्यों की बैठक से है ।
च्सदस्यछ	(ठ)	च्सदस्यछ से अभिप्राय : समय-समय पर विधिवत कंपनी पंजीकृत शेयर धारक से है और इसमें डीमटेरियलाइझड शेयरों के संबंध में लाभार्थी मालिक के रूप में जिसका नाम, डिपॉझिटरी रिकार्ड में प्रविष्ट किया है ऐसा व्यक्ति और कंपनी के संगम ज्ञापन के अंशदाता भी शामिल हैं ।
च्मासछ	(ड)	च्मासछ से अभिप्राय : ग्रिगोरियन कैलेण्डर के कैलेण्डर मास से है ।
च्कार्यालयछ	(ढ)	च्कार्यालयछ से अभिप्राय : फिलहाल कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से है ।
च्साधारण संकल्पछ च्विशेष संकल्पछ	(ण)	च्साधारण संकल्पछ और च्विशेष संकल्पछ से वे अर्थ लिए जाते हैं जो उन्हें क्रमश:कंपनी अधिनियम की धारा 189 द्वारा प्रदान किए जाते हैं ।
च्प्रदत्तछ	(त)	च्प्रदत्तछ राशि में प्रदत्त के रूप में जमा की गई राशि है ।
च्व्यक्ति(यों) छ	(थ)	च्व्यक्ति(यों)छ में कोई भी सरकार -केन्द्रीय या राज्य - निगम, संस्थाएं, फर्मे, सहकारी संस्थाएँ, अन्य संस्थाएँ और व्यक्ति भी शामिल हैं ।
च्राष्ट्रपतिछ	(द)	च्राष्ट्रपतिछ से अभिप्राय : भारत के राष्ट्रपति से है ।
च्प्रॉक्सीछ (प्रपत्र)	(ध)	च्प्रॉक्सीछ (प्रपत्र) से अभिप्राय : उस प्रलेख से है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को कंपनी की साधारण बैठक में किसी सदस्य की ओर से मतदान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।
च्सार्वजनिक छुट्टीछ	(न)	च्सार्वजनिक छुट्टीछ से अभिप्राय : परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अर्थों के अधीन सार्वजनिक छुट्टी से है, बशर्ते कि सार्वजनिक छुट्टी के रूप में घोषित कोई भी दिन किसी बैठक के संबंध में सार्वजनिक छुट्टी घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी बैठक बुलाने के लिए जारी किए गए नोटिस से पूर्व ऐसी घोषणा को अधिसूचित किया गया हो ।
च्सदस्यों का रजिस्टरछ	(प)	च्सदस्यों के रजिस्टरछ से अभिप्राय : सदस्यों के उस रजिस्टर से है जिसे अधिनियम की धारा 150 के अनुसरण में रखा जाता है ।
च्रजिस्ट्रारछ	(फ)	च्रजिस्ट्रारछ से अभिप्राय : उस राज्य के कंपनियों के रजिस्ट्रार से है जिसमें फिलहाल कंपनी का कार्यालय स्थित है ।
च्कंपनी के विनियमछ	(ब)	च्कंपनी के विनियमछ से अभिप्राय : कंपनी के प्रबंध के लिए फिलहाल लागू विनियमों से है ।
च्सीलछ	(भ)	च्सीलछ से अभिप्राय : फिलहाल कंपनी की समान मोहर (सील) से है ।

(म) च्सचिवछ में कोई अस्थायी, सहायक या उप सचिव शामिल है और इससे अभिप्राय : सचिव की किसी ड्यूटी को निभाने के लिए मंडल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से है ।	च्सचिवछ
(य) च्शेयरछ से अभिप्राय : कंपनी की शेयर पूँजी में शेयरों से है और इसमें उसके सिवाय वह स्टाक शामिल है जिसमें स्टाक और शेयर के बीच के भेद को अभिव्यक्त या निहित किया गया है ।	च्शेयरछ
(कख) च्कानूनछ से अभिप्राय : कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी को प्रभावित करने वाले फिलहाल लागू हर अधिनियम से है ।	च्कानूनछ
(खख) च्एक वचन और लिंगछ : एक वचन के द्योतक शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसी प्रकार से बहुवचन के द्योतक शब्दों में एकवचन भी शामिल होगा । पुल्लिग द्योतक शब्दों में स्त्रीलिंग द्योतक शब्द भी शामिल होंगे ।	च्एक वचन और लिंगछ
(गग) च्लिखित और लिखत मेंछ मुद्रण, लिथोग्राफी और दृश्य रूप में शब्दों को प्रस्तुत करने वाली अन्य विधियां शामिल हैं ।	च्लिखित और लिखत मेंछ
(घघ) च्वर्षछ से अभिप्राय : ग्रिगोरियन कैले`ण्डर के अनुसार गिने गए कैलेण्डर वर्ष से है ।	च्वर्षछ
2. कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है ।	च्कंपनी सार्वजनिक कंपनी होगीछ
3. अधिनियम की अनुसूची-1 की तालिका-क में दिए गए विनियमों को, जहां तक कि ये अनुच्छेद उक्त तालिका में दिए गए विनियमों को संशोधित या अपवर्जित नहीं करते हैं, उसी तरीके से और उसी सीमा तक कंपनी के विनियम माना जाएगा जैसे कि वे विधिवत पंजीकृत अनुच्छेदों में दिए गए हो ।	च्तालिका-क लागू होगीछ
4. कंपनी के प्रबंधन और उसके सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा पालन किए जाने के लिए, अधिनियम द्वारा यथा निर्धारित या अनुज्ञप्त विशेष संकल्प द्वारा इसके विनियमों के निरसन या परिवर्तन या परिवर्धन के संदर्भ में कंपनी की सांविधिक शक्ति में किसी उपयोग के अधीन, विनियम वे होंगे जो इन अनुच्छेदों में दिए गए हैं ।	च्कंपनी पर ये विनियम लागू होंगे ।छ
पूँजी	
5. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 800 करोड़ रूपये (आठ सौ करोड़ रूपये मात्र) है जिसे 10 रूपये (दस रूपये मात्र) के 8 करोड़ (आठ करोड़ मात्र) शेयरों में विभाजित किया गया है ।	च्कंपनी की पूँजीछ
6. अधिनियम के अनुसार कंपनी, सदस्यों का एक रजिस्टर और सदस्यों का एक सूचकांक रखवाएगी ।	च्सदस्यों का रजिस्टर और सदस्यों का एक सूचकांक रखा जा ।एगा।छ
7. हरेक शेयर को उसके अंकित मूल्य के अनुसार क्रमिक रूप से अंकित किया जाएगा। डिपॉझिटरी के पास होनेवाले शेयरों को कोई विशिष्ट अंकन नहीं किया जाएगा ।	च्शेयरों का क्रमिक अंकन और शेयरों का उप-विभाजन नहींछ

च्बोर्ड (मंडल) द्वारा शेयरों का आबंटनछ	8. (क)	अधिनियम के प्रावधानों, इन अनुच्छेदों और राष्ट्रपति के अधिकारों के अधीन, शेयर, निदेशक मंडल के अधीन होंगे, जो राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन ऐसे व्यक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वे उपयुक्त समझें इनका आपस में आबंटन या अन्यथा निपटान कर सकते हैं।
च्आबंटनों की विवरणीछ	(ख)	निदेशक, अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर सभी आबंटनों के बारे में एक विवरणी तैयार कराएंगे ।
च्शेयर रखने के लिए कमीशनछ	9.	कंपनी के किसी शेयर, डिबेंचर या डिबेंचर स्टाक के लिए अंशदान कराने या अंशदान कराने के लिए सहमत होने के लिए (बिना किसी शर्त के या सशर्त) या कंपनी के किसी शेयर, डिबेंचर या डिबेंचर स्टाक में अंशदान करने या अंशदान प्राप्त करने के लिए सहमत होने के लिए कंपनी किसी व्यक्ति को किसी समय कमीशन दे सकती है, ताकि यदि शेयरों के बारे में वह कमीशन पूँजी में से दिया जाता है या देय होता है तो, सांविधिक शर्तों और अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा और शेयरों की स्थिति में कमिशन की राशि या दर उस कीमत के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिस पर शेयर जारी किये जाते हैं और डिबेंचरों की स्थिति में उस कीमत के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिस पर डिबेंचर जारी किये जाते हैं। यह कमीशन नगद या शेयरों, डिबेंचरों या कंपनी के डिबेंचर स्टॉक के रूप में दी जा सकती है।
च्कंपनी अपने शेयर नहीं खरीदेगीछ		कंपनी की निधियों का कोई भी भाग, कंपनी की शेयरों की खरीद या प्रतिभूति पर ऋणों में नहीं लगाया जाएगा।
च्शेयरों की स्वीकृतिछ	10.	आवेदक को उसमें अधिसूचित किसी शेयर के आबंटन के पश्चात कंपनी में शेयरों के लिए आवेदक द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित किए गए किसी आवेदन को इन अनुच्छेदों के अर्थों के भीतर शेयरों की स्वीकृति समझा जाएगा और हर वह व्यक्ति जो इस प्रकार या अन्यथा किन्हीं शेयरों को स्वीकार करता है और जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दिया गया है, को इन अनुच्छेदों के प्रयोजन के लिए सदस्य माना जाएगा ।
च्शेयर प्रमाणपत्रछ	11.	हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्य के रूप में रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, को कंपनी की समान सील के अधीन 100 शेयरों के बिक्री योग्य समूह में, बिना किसी भुगतान के एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा। परंतु, अनेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित एक या अनेक शेयरों के मामले में, एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी और अनेक संयुक्त धारकों के शेयर के लिए एक प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी सभी की सुपुर्दगी के लिए पर्याप्त होगी।
च्विरूपित,खो गए या नष्ट हुए प्रमाणपत्र के बदले नए शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करनाछ	12.	यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र विरूपित हो जाता है, खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो उसे ऐसी शर्तों पर नवीकृत किया जा सकता है जिसे इसके साक्ष्य और क्षतिपूर्ति के बारे में निदेशक उपयुक्त समझें। तथापि, पुराने, जर्जर, घिसे-पिटे या ऐसे प्रमाणपत्रों के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर/ डिबेंचर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, जहां प्रमाणपत्रों के दूसरी ओर स्थानांतरणों को अभिलिखित करने का स्थान पूर्णतया चूक गया है और व्यापार के बाजार यूनिट के अनुरूप शेयर/डिबेंचर प्रमाणपत्र के उप विभाजन या समेकन के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र ।

13. निदेशक सदस्यों से उनके शेयरों के बारे में अदा न किए गए किसी धन के बारे में समय-समय पर कह सकते हैं और उन्हें भुगतानों के समय या समयों के बारे में बता सकते हैं और हर सदस्य का यह फर्ज होगा कि वह इस प्रकार अपने शेयरों पर मांगी गई राशि को इस प्रकार निर्धारित की गई अवधि या अवधियों के भीतर अदा कर दें। च्शेयरों पर मांगेंछ

तथापि, निदेशक समय-समय पर अपने विवेकानुसार मांगी गई राशि के भुगतान के लिए निर्धारित अवधि को बढ़ा सकते हैं।

14. यदि किसी माँग के बारे में देय कोई राशि उस भुगतान के लिए निर्धारित किसी तारीख को या उससे पूर्व अदा नहीं की जाती है, तो उस समय के लिए धारक या उस शेयर के अलाटी को, जिसके बारे में मांग की गई है, उस पर अधिक से अधिक छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, जिसका निर्धारण निदेशक करेंगे, भुगतान के लिए निर्धारित दिन से भुगतान के वास्तविक दिन तक की अवधि के लिए ब्याज देना होगा। लेकिन निदेशक ब्याज के इस भुगतान को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से माफ कर सकते हैं। च्इस प्रकार मांगी गई राशि पर ब्याज कब देय होता है।छ

15. निदेशक, यदि वे उपयुक्त समझें, किसी सदस्य से जो अपने लिए निर्धारित देय राशि से अधिक धन स्वीकार कर सकते हैं और इस प्रकार भुगतान किया गया था जो समय-समय पर उसकी देयताओं से अधिक होता है और उसके द्वारा धारण किए गए शेयर और इस प्रकार प्रदत्त अग्रिम राशि के संबंध में, शेयरों के लिए मांग की गयी राशि से अधिक राशि समय-समय पर अदा की जाती है तो कंपनी उस पर ऐसे दर पर ब्याज दे सकती है जो छः प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो और इस प्रकार अग्रिम राशि देने वाले सदस्य और उसे स्वीकार करने वाले निदेशक इस प्रकार अग्रिम दिए गए धन को लिखित रूप से तीन मास का नोटिस देने पर लौटा सकते हैं। मांग से अधिक धन देने पर उन्हें लाभांश का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा और न ही इससे कंपनी के लाभों में हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। च्मांग की प्रत्याशा के कारण किए गए भुगतान पर ब्याज मिलता है।छ

16. (1) यदि कोई सदस्य भुगतान के लिए निर्धारित तारीख को मांग या मांग की किश्त का भुगतान नहीं करता है, तो मंडल उस समय के पश्चात ऐसी अवधि के भीतर जब तक कि मांग की गई राशि या उसकी किसी किश्त का भुगतान नहीं हो जाता है उस पर नोटिस की तामील कर सकता है कि वह भुगतान न की गई मांग की राशि या उसकी किश्त का भुगतान करें और उसके साथ उस पर हुए ब्याज का भुगतान करें। च्शेयरों की जब्तीछ

(2) उपर्युक्त नोटिस में:-

(क) वह अगली तारीख दी जाएगी (नोटिस की तामील की तारीख से 14 दिन की समाप्ति तक से पूर्व नहीं होनी चाहिए।) जिसको या जिससे पूर्व नोटिस द्वारा अपेक्षित भुगतान किया जाना है; और

(ख) उसमें यह उल्लेख किया गया होगा कि इस प्रकार उल्लिखित दिन को या उससे पूर्व भुगतान न किये जाने की स्थिति में, वे शेयर, जिनके बारे में मांग की गई थी, जब्त किये जा सकते हैं ।

(3) यदि पूर्वोक्त ऐसी किन्हीं नोटिस की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जाता है, तो जिन किन्हीं शेयरों के बारे में नोटिस दिया जाता है, उस समय के पश्चात नोटिस द्वारा अपेक्षित भुगतान किये जाने से पूर्व, इस आशय के मंडल के संकल्प द्वारा, शेयर जब्त कर लिए जाएंगे।

(4) जब्तशुदा शेयर को बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझी गई शर्तों और तरीकों से बेचा या अन्यथा निपटाया जा सकता है।

(5) पूर्वोक्त बिक्री या निपटान से पूर्व किसी समय मंडल ऐसी शर्तों पर जब्ती को रद्द कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

च्जब्ती के प्रभावछ	17. (1) जिस व्यक्ति के शेयर जब्त कर लिये गए हैं, वह जब्त किये गए शेयरों के बारे में सदस्य नहीं रहेगा, परंतु, जब्ती के बावजूद, कंपनी को देय सभी राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा जोकि जब्ती की तारीख को उन शेयरों के बारे में उसके द्वारा कंपनी को देय थे। (2) ऐसे व्यक्तियों की देयता तभी समाप्त होगी यदि और जब कंपनी उन शेयरों की बाबत सारी राशि पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुकेगी।
च्जब्ती की घोषणाछ	18. (1) इस आशय की एक लिखित रूप में विधिवत सत्यापित घोषणा करने वाला कंपनी का एक निदेशक, प्रबंधक या सचिव है और की गयी घोषणा में दी गई तारीख को कंपनी के शेयर की विधिवत जब्ती की गई है, शेयर की हकदारी का दावा करने वाले उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ उस घोषणा में दिए गए तथ्यों के बारे में निर्णायक साक्ष्य होगा। (2) कंपनी किसी शेयर की बिक्री या निपटान के लिए दिए गए किसी प्रतिफल को प्राप्त कर सकती है और उस व्यक्ति के पक्ष में शेयर के स्थानांतरण का निष्पादन कर सकती है जिसे शेयर बेचा या निपटाया गया है। (3) स्थानान्तरिती को उसके पश्चात शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। (4) स्थानान्तरिती क्रय धन का उपयोग, यदि कोई हो, देखने के लिए बाध्य नहीं होगा। न ही शेयर की जब्ती, बिक्री या निपटान के संदर्भ में की गई कार्रवाइयों में हुई किसी अनियमितता या अवैधता से उसकी शेयर की हकदारी पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
च्नियत समय पर देय राशियों के भुगतान न किए जाने की स्थिति में जब्ती संबंधी प्रावधान लागू होंगे।छ	19. जब्ती के बारे में इन अनुच्छेदों में दिए गए प्रावधान किसी राशि के भुगतान न किए जाने की स्थिति में लागू होंगे जोकि शेयर के जारी किये जाने वाली शर्तों के अनुसार नियत समय पर देय हो जाते हैं, चाहे वह शेयर की नाममात्र कीमत के कारण हो या प्रीमियम के रूप में हो, जिसे विधिवत की गई और अधिसूचित की गई मांग के अनुसार मांगा गया हो।
च्शेयर के संयुक्त धारकों की देयताछ	20. शेयर के संयुक्त धारक, संयुक्त रूप से और अलग-अलग उसके बारे में किसी मांग के भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
च्शेयरों पर कंपनी का लियनछ	21. कंपनी का सभी शेयरों (पूर्णतया प्रदत्त शेयरों को छोड़कर) पर प्रथम और सर्वोच्च लियन होगा जोकि हरेक सदस्य के नाम में पंजीकृत किए गए हैं (चाहे वे अकेले हो या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से हो)। साथ ही उनकी बिक्री से प्राप्त धन पर (चाहे वह इस समय देय है या नहीं) जोकि ऐसे शेयरों के बारे में नियम समय पर आहूत या देय है और किसी शेयर में साम्य हित नहीं बनाया जाए, सिवाय इस आधार और शर्त पर कि इस अनुच्छेद का पूर्णतया प्रमाण होगा। और ऐसा लियन, ऐसे शेयरों के बारे में समय-समय पर घोषित सभी लाभांशों और बोनसों पर लागू होगा। जब तक इस बात पर अन्यथा सहमति न हो, शेयरों के स्थानांतरण का पंजीकरण ऐसे शेयरों पर कंपनी के लियन के लिए अभित्याग (वेव्हर) के रूप में कार्य करेगा। निदेशक किसी भी समय किन्हीं शेयरों को इस धारा के प्रावधानों से पूर्णतया या आंशिक रूप से उन्मुक्त घोषित कर सकते हैं।

22. कंपनी किन्हीं शेयरों को ऐसे तरीके से बेच सकती है जैसा कि निदेशक उपयुक्त समझे, जिन पर कंपनी का लियन है। लेकिन तब तक कोई बिक्री नहीं की जा सकेगी जब तक कि, जिस पर अभी कोई लियन है, उस पर कुछ धन देय है, न ही जब तक उस समय शेयर के पंजीकृत धारक या शेयरधारक की मृत्यु या दिवालियापन के कारण, शेयर के हकदार व्यक्ति को लिखित रुप में दिए गए नोटिस, जिसमें उस राशि के भुगतान का उल्लेख और मांग की गई हो, जिसके बारे में लियन मौजूद है और जो इस समय देय है, दिये जाने के चौदह दिन पश्चात तक कोई बिक्री नहीं हो सकेगी। "बिक्री द्वारा लियन का प्रवर्तन"

23. बिक्री की राशि को उस राशि के ऐसे भाग के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में लियन मौजूद है और इस समय देय है और अवशेष (उन राशियों के लिए ऐसे लियन के अधीन, जोकि इस समय देय नहीं है परंतु जो बिक्री से पूर्व शेयरों पर मौजूद थे) को उन लोगों को दिया जाएगा, जोकि बिक्री की तारीख को शेयरों के हकदार हैं। खरीददार का पंजीकरण शेयरों के धारक के रूप में किया जाएगा और वह खरीद धन के इस्तेमाल को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा, न ही शेयरों की बिक्री के संदर्भ में की गई कार्यवाहियों में हुई किसी अनियमितता या अवैधता से उसकी हकदारी पर कोई प्रभाव पडेगा। "बिक्री राशि या अनुप्रयोग"

24. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 111 के अधीन, निदेशक अपने निरपेक्ष और अनियंत्रित विवेक के अधीन, शेयरों के किसी प्रस्तावित स्थानांतरण को पंजीकृत करने से इन्कार कर सकते हैं। इस अनुच्छेद में दिया गया कुछ भी किसी व्यक्ति को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत करने के कंपनी के किसी अधिकार को सीमित नहीं करेगा जिसे इस विधि के परिचालन द्वारा कंपनी में शेयरों पर अधिकार प्रदान किया गया है। "शेयरों का स्थानांतरण"

25. निदेशकों को किसी व्यक्ति को, जोकि किसी शेयर के पारेषण के लिए हकदार है, या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को पंजीकृत करने से इनकार करने का वैसा ही अधिकार होगा जैसे कि वह पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए साधारण स्थानांतरण में नामित स्थानान्तरिती हो। "पंजीकरण से इन्कार करने के निदेशकों के अधिकार"

26. स्थानांतरण प्रपत्र लिखित रूप में होगा और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 108 या उस समय उसके सांविधिक संशोधन के सभी प्रावधानों को शेयरों के सभी स्थानांतरणों और उसके पंजीकरण के बारे में विधिवत पूरा किया जाएगा। "स्थानांतरण प्रपत्र"

27. कंपनी में किसी शेयर के स्थानांतरण के प्रपत्र को स्थानांतरणकर्ता और स्थानान्तरिती दोनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा और उस समय तक स्थानांतरणकर्ता को शेयर का धारक माना जाएगा जब तक कि स्थानान्तरिती का नाम उस बारे में सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है। "स्थानांतरण पत्र का निष्पादन"

28. स्थानांतरण के हरेक प्रपत्र को पंजीकरण के लिए कार्यालय में छोड़ा जाए। इसके साथ ही स्थानान्तरित किए जाने वाले शेयरों के प्रमाणपत्र ऐसे साक्ष्य को भी छोड़ा जाए जिसे स्थानांतरणकर्ता की हकदारी को प्रभावित करने और उसके शेयरों का स्थानांतरण करने के अधिकार को प्रभावित करने के लिए कंपनी आवश्यक समझे । स्थानांतरण के सभी प्रपत्र कंपनी में रखे जाएंगे, लेकिन स्थानांतरण के किसी प्रपत्र को जिसे निदेशक पंजीकरण करने से इनकार कर दे, उस व्यक्ति को मांग पर लौटा दिए जाए जिसने उन्हें जमा कराया था। "स्थानांतरण प्रपत्रों की हकदारी के साक्ष्य के प्रमाणपत्र के साथ कार्यालय में छोड़ा जाए।"

29. कंपनी शेयरों/डिबेंचरों के स्थानांतरण/पारेषण के लिए या रिक्त प्रमाणपत्र (प्रोबेट), प्रशासन प्रपत्र या इसी प्रकार के अन्य प्रलेखों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करेगी। "स्थानांतरण के लिए कोई फीस नहीं"

च्स्थानांतरण रजिस्टरछ	(क) कंपनी एक स्थानांतरणों का रजिस्टर तैयार करेगी और उसमें स्वच्छ और स्पष्ट रूप से किसी शेयर के हरेक स्थानांतरण या पारेषण के सभी ब्यौरे दर्ज होंगे।
च्स्थानांतरण पुस्तकों और सदस्यों और डिबेंचर धारकों के रजिस्टर बंद करनाछ	30. स्थानांतरण पुस्तकों और सदस्यों के रजिस्टरों या डिबेंचर धारकों का रजिस्टर एक बार में या एक से अधिक बार बंद किया जा सकता है, परंतु यह अवधि वर्ष में 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक साथ 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जहां स्थित है उस जिले के समचार पत्र में विज्ञापन द्वारा कम से कम सात दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।
च्स्थानांतरण पारेषण और निदेशकों द्वारा च्स्थानांतरण रजिस्टर न करने के प्रभावछ	31. कंपनी अधिनियम, 1956 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन शेयर प्रमाणपत्रों स्थानांतरण, पारेषण, उप विभाजन या समेकन, इस बारे में अनुरोध किए जाने के एक मास के भीतर हो जाना चाहिए। यदि निदेशक किसी शेयर को स्थानांतरण के लिए पंजीकरण करने से इनकार करते हैं तो, वे उस तारीख से एक महीने के भीतर, जिसने स्थानांतरण प्रपत्र कंपनी को सौंपा गया था, स्थानांतरणकर्ता और स्थानान्तरिती को ऐसे इनकार का नोटिस भेजेंगे । नीचे जो प्रावधान किया गया है उसको छोड़कर, निदेशकों को उस व्यक्ति को, जिसका नाम शेयर धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में दिया गया है, उस शेयर का पूर्ण स्वामी समझे और तदनुसार (सिवाय सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा यथा आदेशित तथा जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित किया जाता है) वह किसी बेनामी ट्रस्ट की मान्यता देने या साम्य या समान प्रासंगिक के लिए बाध्य होगा। न ही अन्य दावों और ऐसे शेयरों में हित या किसी व्यक्ति के अंश, चाहे उसके लिए स्पष्ट या निहित नोटिस होगा, बशर्ते कि स्थानांतरण के लिए इस आधार पर रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं किया जाएगा कि स्थानांतरणकर्ता अकेले या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ किसी खाते में कंपनी का कर्जदार है।

<u>पूँजी की वृद्धि और कमी</u>

च्शेयर पूँजी की वृद्धिछ	32. राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, निदेशक साधारण बैठक में कंपनी की स्वीकृति के साथ ऐसी राशि से शेयर पूँजी को बढ़ा सकते हैं जिसे ऐसी राशि के शेयरों में विभाजित किया जा सके जैसे कि संकल्प में निर्धारित किया गया हो।
च्नई पूँजी उतनी ही जितनी कि मौजूदा पूँजी हैछ	33. जब तक कि इश्यू की शर्तों में या इन अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, नए शेयरों से एकत्रित की गई पूँजी को मूल पूँजी का अंग माना जाएगा और वह मांगों और किश्तों, स्थानांतरणों और पारेषणों, लियन, मतदान, समर्पण और अन्यथा किए गए भुगतानों के संदर्भ में इसमें दिए गए प्रावधानों के अधीन होगा।
च्नई पूँजी का निर्गमछ	34. इस बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले निदेशकों के अधीन नए शेयर ऐसी शर्तों पर ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जारी किए जाएंगे जैसा कि साधारण बैठक में उनके निर्माण के बारे में फैसला किया जाएगा और इस बारे में निदेश दिए जाएंगे और यदि इस बारे में कोई निदेश नहीं दिए जाते हैं तो उसे निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
च्सदस्यों को नए शेयरों की पेशकशछ	35. नए शेयर, जब तक कि कंपनी द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से अन्यथा निर्णय न लिया जाए और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81 के उपबंधों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में पेश किए जाने चाहिए और ऐसी

पेशकश ऐसे नोटिस के रूप में जानी चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि वह सदस्य कितने शेयरों का हकदार है। उसमें एक समय सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए कि अगर इस अवधि में इस पेशकश को स्वीकार न किया गया तो यह समझा जाएगा कि वह सदस्य इन शेयरों को नहीं लेना चाहता है, ऐसी अवधि के समाप्त होने पर या सदस्यों से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि वे शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं, निदेशक उन शेयरों का निपटान ऐसे तरीके से कर सकते हैं जिसे वे कंपनी के लिए अधिक लाभकारी समझते हैं। बशर्ते कि साधारण बैठक में कंपनी की स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शेयर लेने का अधिकार या विकल्प नहीं दिया जाएगा।

36. इस बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे निदेशों के अधीन कंपनी विशेष संकल्प द्वारा समय-समय पर पूँजी का भुगतान करके या उस पूँजी को रद्द करके जिसे खो दिया गया है या जिसे उपलब्ध आस्तियों द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है या वह अतिरिक्त है, या शेयरों पर दायिताओं को कम करके या जो अन्यथा उपयुक्त समझा जाए, पूँजी को कम कर सकती है। और पूँजी का इस आधार पर भुगतान किया जाए कि इसे फिर बुलाया जा सकता है या अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निदेशक शेयरों का समर्पण स्वीकार कर सकते हैं। च्शेयर पूँजी में कमी करनाछ

37. राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, कंपनी अपनी साधारण बैठक में, समय-समय पर अपने शेयरों का या उनमें से किन्हीं का उप विभाजन या समेकन कर सकती है और अधिनियम की धारा 94 द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों में से किसी का प्रयोग करते हुए ऐसे किन्हीं अधिकारों के उपयोग के किसी ऐसे नोटिस को, जिसकी अधिनियम द्वारा अपेक्षा हो, रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर सकता है। च्शेयरों का उपविभाजन और समेकनछ

38. अधिनियम की धाराओं 100 से 104 के प्रावधानों के अधीन और राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से निदेशक किसी सदस्य से उसके सभी या कुछ शेयरों का आपस में तय की गई शर्तों पर समर्पण स्वीकार कर सकते हैं। च्शेयरों का समर्पणछ

अधिकारों का संशोधन

39. यदि किसी समय तरजीही शेयरों के जारी किये जाने से या अन्यथा पूँजी को शेयरों के विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो निम्नलिखित के अधीन अधिनियम की धारा 106 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ग से संलग्न अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिवर्तित या संशोधित कर किया जाए: च्अधिकारों का संशोधनछ

(क) किसी विनिर्धारित समानुपात के धारकों की स्वीकृति जोकि उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के तीन-चौथाई से कम नहीं होना चाहिए। या,

(ख) उन शेयरधारकों की अलग बैठक में पारित किए गए संकल्प और किसी विनिर्धारित समानुपात के धारकों के मतों द्वारा समर्थित, जोकि उन शेयरों के तीन-चौथाई से कम न हो, संकल्प की स्वीकृति।

उधार लेने का अधिकार

40. राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन और अधिनियम की धारा 292 और 293 के अधीन निदेशक, समय-समय पर कंपनी के प्रयोजनों के लिए धन उधार ले सकते हैं या धनराशि का भुगतान कर सकते हैं। च्राष्ट्रपति के अनुमोदन से धन उधार लेने का अधिकारछ

पूँजीगत खर्च निभाने के लिए बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों से हरेक समय 500 करोड़ च्जहाँ राष्ट्रपति

रूपये तक उधार लेने के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त कंपनी की चालू परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधन (हायपोथिकेशन) रखने पर चालू पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने को बैंकों, वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

के अनुमोदन की आवश्यकता नहींछ

च्उधार लेने की शर्तेंछ

41. निदेशक, राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन हर लिहाज से ऐसी शर्तों पर ऐसे तरीकों से ऐसी धन राशियों के पुन:भुगतान को सुनिश्चित करा सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझते हैं और विशेष रूप से बांडों, चिरन्तन या प्रतिदेय डिबेंचरों या डिबेंचरों, स्टाकों या कंपनी की पूरी संपत्ति (वर्तमान और प्रभावी दोनों) या उसके किसी अंश के वचन पत्रों के बंधक, प्रभार या अन्य प्रतिभूतियों पर जिनमें आहूत पूँजी भी फिलहाल शामिल है। बशर्ते कि निदेशक अधिनियम की धारा 143 के अधीन कंपनी की संपत्ति को प्रभावित करनेवाले ऐसे सभी बंधकों, प्रभारों का एक रजिस्टर रखवाएंगे और उसमें दिए गए प्रभारों और बंधकों के रजिस्ट्रेशन के बारे में अधिनियम की धारा 125 और 127 की अपेक्षाओं को विधिवत पूरा कराएंगे और साथ ही अधिनियम की धारा 136 की अपेक्षाओं का पूर्णतया पालन कराएंगे। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी बंधक या प्रभार के बारे में हरेक प्रपत्र की एक प्रति रखी जाएगी और कंपनी द्वारा सृजित किन्हीं प्रभारों या बंधकों की सन्तुष्टि के लिए भुगतान की सूचना देने के बारे में अधिनियम की धारा 138 की अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा।

च्प्रतिभूतियां इक्विटी से समनुदेशन योग्यछ

42. डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाकों, बांडों और अन्य प्रतिभूतियों को कंपनी और उस व्यक्ति के बीच किन्हीं इक्विटी से नि:शुल्क समनुदेशित किया जा सकता है, जिन्हें वे जारी किये जाने हैं।

च्बट्टे पर या विशेष अधिकारों के साथ प्रतिभूतियां जारी करनाछ

43. राष्ट्रपति के अनुमोदन और अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानों के अधीन किसी भी डिबेंचर, डिबेंचर-स्टाक, बांडों या अन्य प्रतिभूतियों को डिस्काउंट, प्रीमियम या अन्यथा जारी किया जा सकता है और उन्हें शोधन, समर्पण, लेने, शेयरों के आबंटन, निदेशकों की नियुक्ति या किन्हीं विशेषाधिकारों के साथ जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, बांड और अन्य प्रतिभूतियों को, जिनके साथ आबंटन के अधिकार और शेयरों में रूपान्तरण की शर्त होती है, साधारण बैठक में कंपनी की सहमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

च्व्यक्तियों को किसी पूर्व प्रभार पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगीछ

44. जब कभी कंपनी की अनाहूत पूँजी प्रभारित की जाती है, तो बाद में उस पर प्रभार लेने वाले सभी व्यक्ति उसी विषय को उसी पूर्व प्रभार पर ले जाएंगे और वे शेयरधारकों को नोटिस द्वारा अथवा अन्यथा ऐसे पूर्व प्रभारों पर प्राथमिकता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

च्देयताओं के बारे में किसी हानि से निदेशकों या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्तिछ

45. यदि निदेशक या उनमें से कोई एक, या कोई एक अन्य व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कंपनी से देय किसी राशि के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो निदेशक कंपनी की परिसंपत्तियों को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभारित करने वाले किसी बंधक, प्रभार या प्रतिभूमि को निष्पादित कर सकते हैं या करा सकते हैं। इसके लिए निदेशकों या इस प्रकार उत्तरदायी बने व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है और यथोक्त ऐसी देयता के बारे में किसी हानि से बचाया जा सकता है।

आरक्षित और विशेष निधियां

च्आरक्षित निधियों का सृजन करने का अधिकार और ऐसी निधियों में से धन का निवेशछ

46. इस बारे में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निदेशों के अधीन, निदेशक किसी लाभांश की सिफारिश करने से पूर्व कंपनी के लाभों में से कुछ राशि, जिसे वे उपयुक्त समझें, आरक्षित निधि के रूप में अलग रख सकते हैं ताकि विभिन्न प्रासंगिक खर्चों या लाभांश को समान करने या विशेष लाभांश की व्यवस्था करने या कंपनी की किसी संपत्ति की मरम्मत करने, उसका सुधार करने या उसे बनाए रखने के लिए उसे काम में लाया जा सके। इसे किसी ऐसे प्रयोजन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है जिसे निदेशक अपने परम विवेक के अनुसार कंपनी के हितों के

अनुकूल समझे और इस प्रकार अलग रखी गई विभिन्न राशियों को ऐसे निवेशों में निदेश कर सकते हैं (कंपनी के शेयरों के अलावा) जिन्हें वे समय-समय पर उपयुक्त समझे, कंपनी

के हित के लिए ऐसे निवेशों का पूर्ण या आंशिक रूप से वर्धन परिवर्तन कर सकते हैं। वे आरक्षित निधियों को ऐसी विशेष निधियों में विभाजित कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझे और आरक्षित निधियों को या उसके किसी भाग को कंपनी के कारोबार में लगा सकते हैं जिसके लिए वे उन्हें अन्य परिसंपत्तियों से अलग रखने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

सदस्यों की बैठक

47. कंपनी की पहली वार्षिक साधारण बैठक इसकी स्थापना के अठारह मास के भीतर आयोजित की जाएगी। कंपनी की अगली वार्षिक साधारण बैठक उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात के छ: मास में की जाएगी जिस में पहली वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की गई थी। उसके पश्चात एक वार्षिक साधारण बैठक कंपनी द्वारा हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: मास के भीतर आयोजित की जाएगी। सिवाए उस स्थिति में, जब किसी विशेष कारण से अधिनियम की धारा 166 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किसी वार्षिक साधारण बैठक के आयोजन के लिए समय बढ़ाया जाता है (यह पहली वार्षिक साधारण बैठक नहीं होनी चाहिए), तब एक वार्षिक साधारण बैठक और अगली बैठक की तारीख के बीच 15 मास से अधिक के अन्तराल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बैठक के लिए समय और स्थान एक संकल्प द्वारा सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। कंपनी की अन्य सभी बैठकों को असाधारण साधारण बैठकें कहा जाएगा।

च्वार्षिक साधारण बैठकछ

48. जब भी निदेशक उपयुक्त समझे, वे उस तारीख तक प्रदत्त पूँजी के रूप में कम से कम दसवें भाग के धारकों की मांग पर, जिन्हें कंपनी के मतदान का अधिकार है, और जिन्होंने तब तक देय सभी मांगों और अन्य राशियों को चुकता कर दिया है, कंपनी की असाधारण बैठक का आयोजन करने के लिए फौरन तैयारी करेंगे, और ऐसी मांग की स्थिति में निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे:

च्मांग पर सदस्यों की असाधारण बैठक बुलाई जा सकती हैछ

(1) इस मांग में बैठक के उद्देश्य का उल्लेख किया जाए और उस पर मांग करने वालों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसे कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए और इसमें कई दस्तावेज हो सकते हैं। उनमें से हरेक पर एक या अनेक मांगकर्ताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(2) यदि निदेशक इस प्रकार की मांग जमा कराये जाने के 45 दिन के भीतर बैठक आयोजित करने के लिए इस प्रकार जमा कराई गई मांग की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर कोई कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं तो मूल्य में उनमें से अधिकांश स्वयं ही बैठक आयोजित कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार आयोजित की जानेवाली कोई भी बैठक मांग जमा कराये जाने की तारीख से तीन मास के भीतर आयोजित की जाएगी।

(3) मांग करने वालों द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन आयोजित की जाने वाली कोई भी बैठक, यथा संभव उसी तरह से आयोजित की जाएगी जैसे कि निदेशकों द्वारा ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं।

यदि, मांग प्राप्त होने के पश्चात निदेशकों द्वारा पर्याप्त संख्या में निदेशकों की समय पर बैठक आयोजित कर पाना, जिससे कि कोरम पूरा हो सके, संभव नहीं हुआ तो कोई भी निदेशक,इसे यथा संभव असाधारण वार्षिक बैठक उसी तरह आयोजित कर सकता है, जैसे कि यह निदेशकों द्वारा आयोजित की गई हो।

नोटिस

च्बैठक का नोटिसछ

इसमें इसके पश्चात दिये गए विशेष संकल्प से संबंधित प्रावधानों के अधीन इसमें इसके पश्चात दिए गए तरीके से हर सदस्य को कम से कम 21 दिन का लिखित रूप में एक नोटिस तामील कराया जाएगा, जिसमें आयोजित की जाने वाली बैठक का स्थान, तारीख और समय और बैठक में दिए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया गया हो, लेकिन इसके लिए उन सभी सदस्यों की ल्खिति रूप में स्वीकृति होनी चाहिए जिन्हें उस बैठक में नोटिस प्राप्त करने का हक है। कोई भी बैठक अल्पावधि के नोटिस पर और ऐसे तरीके से आयोजित की जा सकती है जैसा कि वे सदस्य उपयुक्त समझें।

बहरहाल, बशर्ते कि, यदि अधिनियम की धारा 189(2) की अपेक्षाओं के अनुसार किसी साधारण बैठक में किसी संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाना है, तो ऐसी बैठक के लिए कम से कम 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए जिसमें संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित किये जाने के इरादे का उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ में यह भी शर्त है कि यदि ऐसी बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य इस बात के लिए सहमत हो, तो उस बैठक में एक संकल्प प्रस्तावित और विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जा सकता है, जिसके लिए कम से कम 21 दिनों का नोटिस दिया गया हो।

च्किसको नोटिस की तामील कराने की आवश्यकता हैछ

50. हरेक साधारण बैठक का नोटिस इसके पश्चात प्राधिकृत किए गए ऐसे ही तरीके से निम्नलिखित को दिया जाएगा - (क) कंपनी के हरेक सदस्य को (शेयर वारंटों के धारकों सहित), सिवाय कंपनी के उन सदस्यों को, जिनका कोई पंजीकृत पता न होने के कारण कंपनी को नोटिस देने के लिए कोई पता नहीं दिया है और साथ ही (ख) किसी सदस्य के निधन या दिवालियापन के परिणामस्वरूप शेयर के लिए हकदार उस व्यक्ति को, जिसका यदि निधन या दिवालियापन न हुआ होता तो वह बैठक के लिए नोटिस पाने का हकदार होता।

च्संयोगवश बैठक नोटिस नहीं दिया जा सका तो किसी बैठक को अवैध नहीं माना जाएगा।छ

51. यदि किसी सदस्य को संयोगवश बैठक का नोटिस नहीं दिया जाता है या किसी सदस्य को ऐसा नोटिस प्राप्त नहीं होता है, तो उसके परिणामस्वरुप किसी बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं करार दी जाएगी।

च्बैठक में की जाने वाली कार्रवाईछ

52. वार्षिक साधारण बैठक का कार्य होगा लाभ और हानि लेखे, तुलन पत्र और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना और उस पर विचार करना और लाभांश की घोषणा करना है। ऐसी बैठकों में दिये गए सभी अन्य कार्य व्यापार और असाधारण बैठक में किए गए सभी कार्य व्यापार विशेष समझे जाएंगे।

साधारण बैठकों में कार्यवाही

च्कोरमछ

53. पांच सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर, जिसमें से एक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होना चाहिए, साधारण बैठक के लिए कोरम पूरा समझा जाएगा।

54\. (1) राष्ट्रपति, जहां तक कि वे कंपनी के एक शेयर धारक हैं एक या अनेक व्यक्तियों को (जिनका कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है) कंपनी की सभी या किसी बैठकों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। च्बैठक में राष्ट्रपति के प्रतिनिधिछ

(2) इस अनुच्छेद की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति को मतदान करने, बैठक में उपस्थित होने और वही अधिकार और शक्तियां प्रयोग (इसमें प्रॉक्सी द्वारा मतदान करने का अधिकार भी शामिल है) करने का अधिकार होगा जिनका उपयोग कंपनी के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति कर सकते हैं।

(3) राष्ट्रपति, इस अनुच्छेद की उप धारा (1) के अधीन की गई किसी नियुक्ति को समय-समय पर रद्द कर सकते हैं और उनकी जगर पर नई नियुक्तियां कर सकते हैं।

(4) भारत के संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार किसी बैठक में राष्ट्रपति के आदेश की प्रस्तुति को कंपनी द्वारा यथापूर्वोक्त ऐसी किसी नियुक्ति या रद्दगी का पर्याप्त साक्ष्य समझा जाएगा।

(5) इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति विशेष रूप से या साधारण रूप से एक प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है, यदि वह ऐसे आदेश द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है।

55\. यदि बैठक के लिए नियत समय के 15 मिनटों के भीतर कोरम उपस्थित नहीं है, तो यदि वह बैठक पूर्वोक्त मांग पर आयोजित की जाती है, तो उसे भंग कर दिया जाएगा, परंतु अन्य किसी भी स्थिति में यह स्थगित समझी जाएगी। वह स्थगन अगले सप्ताह में उसी दिन उसी समय और उसी स्थान तक होगा। और यदि ऐसी स्थगित बैठक में भी कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य ही कोरम होंगे और वे वह कार्य व्यापार कर सकते हैं जिसके लिए बैठक बुलाई गई है। च्यदि कोरम न हो तो जब बैठक को भंग या स्थगित कर दिया जाएछ

56\. जहां कंपनी की स्थगित बैठक में कोई संकल्प पारित किया जाता है तो उस संकल्प को सभी प्रयोजनों के लिए उसे उस तारीख को पारित किया माना जाएगा जिस तारीख को वह वास्तव में पारित किया गया था । उसे किसी पहली तारीख को पारित संकल्प नहीं समझा जाएगा। च्स्थगित बैठक में पारित संकल्पछ

57\. अध्यक्ष या निदेशक हरेक साधारण बैठक में अध्यक्षता करने के हकदार होंगे, या यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है तो या यदि किसी बैठक में वह बैठक के शुरू होने में 15 मिनट में उपस्थित नहीं होते हैं, या वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को तैयार नहीं हैं तो, उपस्थित सदस्य किसी और निदेशक को अपना अध्यक्ष चुन लेंगे, और यदि कोई निदेशक उपस्थित नहीं है या उपस्थित सभी निदेशक, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से इनकार कर देते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेंगे। च्साधारण बैठक के अध्यक्षछ

58\. किसी बैठक में प्रस्तुत किए गए हरेक प्रश्न का निर्णय पहली बार हाथ दिखाकर किया जाएगा और यदि मत समान हुए तो अध्यक्ष का हाथ दिखाने और मतदान (यदि कोई हो) की स्थिति में निर्णायक मत होगा। इसके अलावा उसका वह मत भी होगा जिसके लिए वह सदस्य के रूप में हकदार होगा। च्बैठक में प्रश्न का निर्णय कैसे होगा।छ

59\. किसी साधारण बैठक में, बैठक के मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया कोई संकल्प हाथ दिखाकर पारित किया जाएगा। यदि हाथ दिखाकर घोषित परिणाम पर या उससे पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसके प्रॉक्सी या उसके द्वारा विधिवत प्रतिनिधि द्वारा मतदान की मांग की नहीं जाती है और जब तक ऐसे मतदान की मांग नहीं की जाती, तब तक अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि एक संकल्प को हाथ दिखाकर या सर्वसम्मति से या विशेष बहुमत मत से पारित कर दिया गया है या वह गिर गया है, और कंपनी की च्संकल्प का पारणछ

की पुस्तकों में इस आशय का इंदराज इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा कि संकल्प पारित किया गया था। इसके लिए उस संकल्प के पक्ष में या विरूद्ध पड़े मतों की संख्या या समानुपात का प्रमाण आवश्यक नहीं होगा।

59(क) जहां केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा यह विहित करती है कि विशिष्ट कारोबार सिर्फ डाक द्वारा मत पत्रिका से ही किया जाए, तो ऐसे कारोबार और संकल्प का पारण डाक से मत पत्रिका द्वारा किया जाएगा, न कि कंपनी की साधारण बैठक में कारोबार किये जाएंगे और अधिनियम की धारा 192(क) के प्रावधान लागू होंगे।

च्मतदानछ

60. यदि किसी मतदान की विधिवत मांग की जाती है तो इसे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसे समय और स्थान पर आयोजित किया जाएगा जैसा कि बैठक में अध्यक्ष निदेश देते हैं। और या तो तुरंत या अंतराल के या स्थगन के पश्चात या अन्यथा और मतदान के परिणाम को उस बैठक का संकल्प समझा जाएगा जिसमें मतदान की मांग की गई थी। मतदान की मांग को वापस लिया जा सकता है।

च्क्या मतदान को स्थगन के बिना किया जा सकता हैछ

61. बैठक के अध्यक्ष के निर्वाचन पर विधिवत मांगा गया कोई मतदान या स्थगन के किसी प्रश्न पर मांगा गया कोई मतदान बैठक में और बिना स्थगन के लिया जाएगा।

च्बैठक का स्थगनछ

62. साधारण बैठक के अध्यक्ष बैठक की स्वीकृति से समय-समय पर और स्थान-स्थान पर उस बैठक को स्थगित कर सकते हैं। लेकिन उस कार्य व्यापार के अलावा स्थगित बैठक में और कोई कार्य व्यापार नहीं किया जाएगा जिसे उस बैठक में अधूरा छोड़ दिया गया था जहां से स्थगन हुआ था।

च्मतदान की मांग के बावजूद कार्य व्यापार चलता रहेगाछ

63. मतदान की मांग के कारण उस प्रश्न को छोड़कर जिस पर मतदान की मांग की गई है, अन्य कार्य व्यापार के संचालन में बैठक की कार्रवाई में कोई रूकावट नहीं आएगी।

च्अध्यक्ष का निर्णय निर्णायक होगाछ

64. किसी बैठक का अध्यक्ष ऐसी किसी बैठक में दिए गए हरेक मत की वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा। मतदान किए जाने के समय उपस्थित अध्यक्ष ऐसे मतदान में दिए जाने वाले हरेक मत की वैधता के बारे में एकमात्र निर्णायक होंगे।

च्सदस्यों के मतछ

65. हाथ दिखाने पर हर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य का एकमत होगा और मतदान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हरेक सदस्य का या सदस्य द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि का उसके द्वारा धारण किये गये हरेक शेयर के लिए एक मत होगा।

च्हाथ दिखाने वाले मतदान में प्रॉक्सी द्वारा मतदान नहींछ

66. यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से या विधिवत प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं है, तो उसे हाथ दिखाकर मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

67. पारेषण धारा के अधीन शेयरों का स्थानांतरण करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति उस बारे में किसी साधारण बैठक में उसी प्रकार से मतदान कर सकता है, जैसे कि वह ऐसे शेयरों का पंजीकृत धारक हो। बशर्ते कि जिस बैठक में वह मतदान करना चाहता है, उस बैठक या यथास्थिति स्थगित बैठक के आयोजन किए जाने के समय से कम से कम 72 घण्टे पूर्व वह निदेशकों को ऐसे शेयरों के स्थानांतरण करने के अपने अधिकार के बारे में संतुष्ट करेगा, जब तक कि निदेशकों ने पहले से ही उसके शेयरों के स्थानांतरण के अधिकार को स्वीकार न कर लिया हो और इस बारे में ऐसी बैठक में उसके मतदान के आधार को स्वीकार न कर लिया हो।

च्शेयरों के स्थानांतरण के लिए हकदार व्यक्तियों के शेयरों के बारे में मतदानछ

68. जहां किसी शेयर के संयुक्त पंजीकृत धारक हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा ऐसे शेयरों के बारे में किसी बैठक में इस प्रकार भाग ले सकता है जैसे कि वह पूर्णरूप से उसका अधिकारी हो और यदि इन संयुक्त धारकों में से एक से अधिक किसी बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होते हैं तब उपस्थित उक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जिस का नाम ऐसे शेयरों के बारे में रजिस्टर में पहले दर्ज किया गया है, को ही उनके बारे में मतदान करने का हक होगा। मृत सदस्यों के कई निष्पादकों और प्रशासकों जिनके नाम पर कोई शेयर दर्ज है, को इस धारा के प्रयोजन के लिए उनके संयुक्त धारक माना जाएगा।

च्संयुक्त पंजीकृत धारकों या मृत सदस्यों का मतछ

69. एक विक्षिप्त सदस्य, या जिसके बारे में ऐसी किसी न्यायालय द्वारा, जिसका पागलपन के मामलों में अधिकार क्षेत्र है, आदेश पारित किया गया है, अपनी समिति द्वारा या अन्य कानूनी अभिभावक द्वारा हाथ दिखाकर या मतदान द्वारा मतदान कर सकता है। और इस प्रकार की ऐसी कोई समिति या अभिभावक मतदान होने पर प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकता है ।

च्विक्षिप्त सदस्य का मतछ

70. मतदान में मत या तो व्यक्तिगत रूप से दिए जा सकते हैं या प्रॉक्सी के माध्यम से या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा।

च्मतदान में प्रोक्सियों को अनुमति हैछ

71. मतदान में, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित या प्रॉक्सी के माध्यम से या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हरेक सदस्य के मतदान का अधिकार अनुच्छेद 54 के अधीन उसके प्रदत्त पूँजी के उसके शेयर के अनुपात में होगा।

च्मतदान में मतदान अधिकार पूँजी में उसके शेयर के अनुपात में होगाछ

प्रॉक्सी (परीक्षी)

72. प्रॉक्सी की नियुक्ति करने वाला प्रपत्र लिखित में नियुक्ति कर्ता या उसके अटर्नी के हस्ताक्षर के अधीन होगा, ऐसे नियुक्तिकर्ता के निगम होने की स्थिति में इसकी समान सील के अधीन होगा या अन्य पाधिकारी के अधीन होगा। अनुच्छेद 54 (5) के प्रावधानों के अधीन, ऐसे किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जोकि कंपनी का सदस्य नहीं है या मतदान करने का अर्हक नहीं है। अपवाद स्वरूप यदि निगम कंपनी का सदस्य है तो वह अपने किसी एक अधिकारी को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है यद्यपि वह कंपनी का सदस्य नहीं होगा।

च्प्रॉक्सी की नियुक्तिछ

73. प्रॉक्सी को नियुक्त करने का एक प्रपत्र निम्न रूप में या किसी अन्य फार्म में हो सकता है, जिसका अनुमोदन निदेशक करेंगे:-

मैं --,--------------
-- का सदस्य होने के नाते,

च्प्रॉक्सी का प्रपत्रछ

श्री ---को एतद् द्वारा मेरी ओर से और मेरे लिए कंपनी की सामान्य/ असाधारण/ साधारण बैठकों में मत देने

के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं जिस बैठक का आयोजन -------------- मास के -------------------- दिन किया जाना है या उसे स्थगन के परिणामस्वरूप किया जाना है।

------------तारीख को हस्ताक्षर किए गए

च्प्रॉक्सी की नियुक्ति करने वाले प्रपत्र को जमा करनाछ

74. प्रॉक्सी और मुख्तारनामे की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी (यदि कोई हो) या अन्य प्रपत्र की नियुक्ति के लिए प्रपत्र जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या उस मुख्तारनामे की नोटरी द्वारा प्रमाणित की गई प्रति को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाएगा। लेकिन ऐसा उस बैठक के आयोजित किये जाने के कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना चाहिए, जिसमें प्रपत्र में नामित व्यक्ति मतदान करने का प्रस्ताव करता है और ऐसा न करने पर प्रॉक्सी के प्रपत्र को वैध नहीं माना जाएगा।

च्प्रधान की मृत्यु की स्थिति में प्रॉक्सी द्वारा मतदानछ

75. प्रॉक्सी के प्रपत्र की शर्तों के अनुसार दिया गया मत वैध होगा चाहे प्रधान की पहले मृत्यु हुई हो या प्रॉक्सी का प्रतिसंहरण हुआ हो, बशर्ते, में प्रतिसंहरण या मृत्यु की लिखित में कोई सूचना कंपनी के कार्यालय में बैठक से पूर्व प्राप्त न हुई हो।

च्धन के देय होने पर कोई सदस्य मतदान का हकदार नहीं होगाछ

76. यदि किसी सदस्य के शेयरों के बारे में कंपनी को कोई माल या अन्य राशि देय और विहित होगी तो उसे किसी साधारण बैठक में उपस्थित होने या किसी प्रश्न पर मतदान करने - व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या किसी अन्य सदस्य की ओर से प्रॉक्सी के रूप में - का अधिकार नहीं होगा और न ही उसे कोरम में गिना जाएगा।

च्जहां मत की वैधता पर आपत्ति की जाती हैछ

77. सिवाय ऐसी बैठक या मतदान के जिसमें ऐसा मतदान किया जाना है, किसी मत की वैधता पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। और हरेक मत चाहे वह व्यक्तिगत रूप से दिया गया हो या प्रॉक्सी द्वारा और जिसे ऐसी बैठक में या मतदान में अनुमति दी जाती है, को ऐसी बैठक आदि के सभी प्रयोजन के लिए वैध स्वीकार किया जाएगा।

संकल्प

च्हरेक संकल्प का प्रस्ताव और अनुमोदन किया जाना चाहिएछ

78. किसी भी बैठक में प्रस्तुत कोई भी संकल्प, जब तक कि इसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो, पर तब तक न तो चर्चा की जाएगी और न उस पर मतदान किया जाएगा, जब तक कि वह ऐसे उपस्थित सदस्य द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो जो कि ऐसे संकल्प पर मतदान का अधिकारी है और उसका अनुमोदन किसी ऐसे सदस्य द्वारा न किया गया हो जो कि उपस्थित हो और जिसे इस प्रकार मतदान का अधिकार हो।

च्जब कोई संकल्प वैध होगा और साधारण बैठक के संकल्प के समान प्रभावी होगाछ

79. निदेशकों द्वारा पास किए गए किसी संकल्प को, जिसके बारे में सदस्यों को उसी प्रकार से नोटिस दिये गये थे, जिस प्रकार पास किये जाने के एक मास पश्चात मतदान के हकदार सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अनुसमर्थित और पुष्ट किया जाएगा। उसके पक्ष में सदस्यों के 3/5 भाग का समर्थन होना चाहिए। उस स्थिति में उस संकल्प को उसी प्रकार से वैध और प्रभावी माना जाएगा जैसा कि साधारण बैठक के संकल्प को माना जाता है। परन्तु यह धारा उस संकल्प पर लागू नहीं होगी जिसे कंपनी को समाप्त करने के लिए पास किया गया हो या जिसे किसी ऐसे मामले के बारे में पास किया गया हो जिसे कानून द्वारा या उन अनुच्छेदों के

द्वारा विशेष संकल्प का विषय बनाया जाना चाहिए।

80. राष्ट्रपति समय-समय पर लिखित रूप में कंपनी के उन निदेशकों की संख्या का निर्धारण करेंगे। यह संख्या तीन से कम और 12 से अधिक नहीं होगी।	च्राष्ट्रपति निदेशकों की संख्या निर्धारित करेंगेछ
81. (1) (क) अंशकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा255 के प्रावधानों के अधीन की जाएगी। कंपनी के शेष सभी निदेशकों की नियुक्ति कम्पनी की साधारण बैठक में की जाएगी।	च्अंशकालिक अध्यक्ष/ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्तिछ
(2) अंशकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक उस समय सेवा निवृत्त हो जाएंगे जब वे अंशकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक नहीं रहेंगे। अन्य सभी निदेशक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 256 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में बारी-बारी से सेवा निवृत्त होंगे।	च्निदेशकों की सेवा निवृत्तिछ
(3)राष्ट्रपति को अध्यक्ष/अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक को उनके पद से किसी भी समय अपने परम विवेक पर निलंबित करने/हटाने का अधिकार होगा । अन्य सभी निदेशकों को कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 284 के प्रावधानों के अनुसार उनके पद से हटाया जा सकता है।	च्निदेशकों को हटानाछ
(4) सेवानिवृत्त, हटाये जाने, त्याग पत्र, निधन के कारण या अन्यथा रिक्त हुए अध्यक्ष/अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के खाली स्थान भरने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। किसी अन्य निदेशक की सेवा निवृत्ति, हटाये जाने, त्याग पत्र, निधन के कारण या अन्यथा खाली हुए स्थान को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 262 के प्रावधानों के अधीन निदेशक मंडल की बैठक में भरा जा सकता है।	च्खाली स्थान भरने के राष्ट्रपति को अधिकारछ
(5) मंडल को किसी समय या समय-समय पर किसी व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि निदेशकों और अतिरिक्त निदेशकों की कुल संख्या इन अनुच्छेदों द्वारा मंडल के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति केवल कंपनी की अगली वार्षिक साधारण बैठक तक अपने पद पर बने रहेंगे।	च्अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्तिछ
82. निदेशक का पद उस समय खाली हो जाएगा यदि: (क) यदि उसे सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विक्षिप्त मन का पाया जाता है। (ख) वह दिवालिये के रूप में अभिनिर्णीत होने का आवेदन करता है। (ग) उसे दिवालिया करार दिया जाता है। (घ) उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोषी पाया जाता है जिसमें नैतिक स्खलन है और उसके लिए कम से कम छः मास की कैद की सजा दी गई हो। (ङ) वह निदेशक, निदेशक मंडल की लगातार तीन बैठकों से या बोर्ड की सभी बैठकों से लगातार तीन मास तक, इन में से जो भी अधिक हो, अनुपस्थित	च्निदेशक की अनर्हताएंछ

रहता है और इसके लिए वह बोर्ड से अनुपस्थित रहने की कोई अनुमति भी प्राप्त नहीं करता है।

(च) वह (वह स्वयं या किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए या उस की ओर से) या किसी एक ऐसी फर्म में जिसमें वह भागीदार है या किसी गैर सरकारी कम्पनी, जिसका वह निदेशक है, धारा 295 का उल्लंघन करते हुए कम्पनी से ऋण स्वीकार करता है या ऋण की जमानत की गारंटी स्वीकार करता है।

(छ) वह धारा 299 के विरूद्ध काम करता है।

(ज) वह धारा 203 के अधीन न्यायालय के आदेश से अयोग्य हो जाता है।

(झ) उसे धारा 284 के अनुसरण में हटा दिया जाता है।

(ञ) वह सेवानिवृत्त हो जाता है या उसे अनुच्छेद 81 के प्रावधानों के अनुसार हटा दिया जाता है।

(ट) वह उसके द्वारा धारण किये गये कम्पनी के शेयरों के बारे में चाहे अकेले, चाहे अन्य व्यक्तियों से मिलकर मांग की अदायगी के लिए निधारित अंतिम तारीख से छः मास के भीतर किसी मांग को अदा नहीं करता है, जब तक केन्द्र सरकार से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी असफलता द्वारा प्राप्त अयोग्यता को हटा नहीं दिया है।

(ठ) कम्पनी में पद धारण करने या किसी अन्य नौकरी प्राप्त करने का, निदेशक नियुक्त किए जाने के कारण या कम्पनी के प्रबंधक एजेंट के नामिती के रूप में उसका कंपनी में पद धारण करना या उसकी अन्य सेवा के समापन होने से, या जैसी भी स्थिति हो, उसकी प्रबंध एजेंसी समाप्त हो जाती है।

धारा (ग), (घ) और (छ) में किसी बात के होते हुए भी उन धाराओं में निर्देशित अयोग्यताएं, निम्नलिखित अवधि तक प्रभावित नहीं होंगी:

क. न्यायनिर्णय, दण्ड या आदेश की तारीख से तीस दिनों के लिए;

ख. जहां न्यायनिर्णय, दण्ड या दोष सिद्धि के विरूद्ध 30 दिनों के अंदर कोई अपील या याचिका दायर की जाती है, जिसके परिणामस्वरुप दंड या आदेश जारी किया जाता है, वहां उस अपील या याचिका के निपटाये जाने की तारीख से सात दिनों तक, या

ग. जहां उक्त सात दिनों के अंदर न्यायनिर्णय, दण्ड, दोषसिद्धि या आदेश के बारे में आगे अपील या याचिका दायर की जाती है और उस अपील या याचिका को अनुमति दिये जाने की स्थिति में, उस अयोग्यता को हटा दिया जाता है, तो ऐसी अगली अपील या याचिका के निपटाये जाने तक ।

च्वैकल्पिक निदेशकछ

83. मण्डल, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक के स्थान पर वैकल्पिक निदेशक नियुक्त कर सकता है, यदि वे भारत से बाहर हैं या वे भारत से बाहर जाने वाले हैं या वे उस राज्य से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कम से कम तीन मास के लिए अनुपस्थित रहने वाले हैं, जिस राज्य में निवेशकों की बैठकें आम तौर पर आयोजित की जाती हैं । कंपनी की साधारण बैठक में किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति की स्थिति में, मण्डल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, उस राज्य से ऐसे निदेशक की उस राज्य से अनुपस्थिति के दौरान, जिसकी अवधि तीन मास से कम में हो, जिसमें आम तौर पर निदेशकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं, वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति कर सकता है। वैकल्पिक निदेशक को निदेशकों की बैठकों के बारे में नोटिस प्राप्त करने और वैकल्पिक निदेशक रहते हुए उन बैठकों में उपस्थित होने और उनमें मतदान करने का हक होगा, लेकिन उसे किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी और वह इसी बात से वह पद खाली कर देगा, यदि और जब, वह निदेशक वापस लौट आता है या निदेशक के रूप में पद खाली कर देता है।

निदेशकों के अधिकार

84. अधिनियम के प्रावधानों और अनुच्छेद 127 में दिए गए अनुसार समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गये निदेशों, यदि कोई हो तो, के अधीन, कंपनी के निदेशक मण्डल को ऐसे सभी अधिकारों का उपयोग करने और ऐसे सभी कार्य और बातें करने का अधिकार होगा, जिनका उपयोग करने या जिन्हें करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है। च्कंपनी द्वारा निदेशकों को दिये गये सामान्य अधिकारछ

बशर्ते कि मंडल किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा या कोई कार्य या बात नहीं करेगा, जिसे इस या किसी अन्य अधिनियम या कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार या अन्यथा, कंपनी की साधारण बैठक में किया जाना निदेशित या अपेक्षित है।

साथ ही बशर्ते कि ऐसे किसी अधिकार का उपयोग करते हुए या कोई कार्य या बात करते हुए बोर्ड इस बारे में इस या किसी अन्य अधिनियम या कंपनी अधिनियम में दिये गये प्रावधानों, या इनसे संगत किन्हीं विनियमों या उनके अधीन विधिवत बनाए गए प्रावधानों के अधीन होगा। इनमें साधारण बैठक में कंपनी द्वारा बनाये गए विनियम भी शामिल होंगे।

साधारण बैठक में कंपनी द्वारा कोई भी विनियम, बोर्ड के ऐसे किसी पूर्व कार्य को अवैध करार नहीं देंगे, जो उस सूरत में वैध होते, यदि वह विनियम नहीं बनाया गया होता।

85. पिछले पूर्वोक्त अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त साधारण अधिकारों के और इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों के प्रति बिना किसी पक्षपात के और अधिनियम की धारा 292-294 और 297 के प्रावधानों के अधीन निदेशकों के निम्नलिखित अधिकार, अर्थात् अधिकार होंगे:- च्निदेशकों के विशिष्ट अधिकारछ

(1) कम्पनी के लिए ऐसी सम्पत्ति, अधिकार या विशेषाधिकार खरीदना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अर्जित करना जिन्हें कंपनी ऐसी कीमत पर और आम तौर पर ऐसी शर्तों पर अर्जित करने के लिए प्राधिकृत है, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हैं। च्सम्पति अर्जित करनाछ

(2) राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किये बिना, अनुमानित रू.300 करोड़ से अधिक खर्च न होने वाली, सभी पूँजीगत परियोजनाओं को अनुमति देना तथा आधुनिकीकरण करना, उपकरण खरीदना, ठेके देना तथापि, यदि हरेक परियोजना की अनुमानित लागत रू. 300 करोड़ से अधिक हो, पूँजीगत खर्च के लिए भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा। च्पूँजीगत व्यय की मंजूरीछ

(3) अनुमानों के साथ या अन्यथा हरेक कार्य के लिए या स्थिति के अनुरुप सामान्य टूट-फूट के कारण परिसंपत्तियों को बदलने या उनके नवीकरण के लिए, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अनुमोदन लेने के पहले, निर्माण कार्य हाथ में लेने के पहले, ऐसे सभी मामलों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जिसमें पूँजीगत व्यय रु.300 करोड से अधिक है । च्पूँजीगत स्वरूप के निर्माण कार्यछ

(4) कंपनी द्वारा की गई किसी सम्पत्ति, अधिकारों या विशेषाधिकारों के लिए या कम्पनी के लिए दी गई सेवाओं के लिए, चाहे वह पूरक हो या आंशिक रूप से, नकद या शेयरों, बांडों, डिबेंचरों या कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों में भुगतान करना और ऐसे किन्हीं शेयरों को या तो पूर्णतया चुकता जारी किया जा सकता है या उस पर चुकता के रूप में जमा किया जा सकता है, जैसा कि तय किया गया हो, और ऐसे कोई भी बांडों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूमियों को, कंपनी की सम्पत्ति पर या इसकी अर्जित पूँजी पर पूर्णतया या आंशिक रूप च्सम्पत्ति के लिए डिबेंचर में भुगतान करनाछ

प्रभारित किया जा सकता है या इस प्रकार से प्रभारित नहीं किया जा सकता है।

(5) कंपनी द्वारा किए गए किसी संविदा या आबंध को कंपनी की पूरी सम्पति या उसके किसी अंश के बंधक या प्रभार या फिलहाल इसकी अनमांगी पूँजी से पूरा करना, जिस प्रकार से वे उपयुक्त समझे। च्बंधक प्रभार द्वारा संविदाओं की पूर्ति सुक्षित करनाछ

चअधिकारियों की नियुक्तिछ

(6) स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवाओं के लिए ऐसे महा प्रबंधकों, प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों, एजेंटों और सेवकों को नियुक्त करना या उनके विवेक पर उन्हें हटाना, निलम्बित करना, जिन्हें वे समय-समय पर उपयुक्त समझे और उनके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करना और उनके पारिश्रमिक, वेतन या परिलब्धियां आदि तय करना और ऐसे मामलों में ऐसी राशि की जमानत मांगना, जैसा कि वे उपयुक्त समझें। तथापि, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और / या निदेशक मंडल में किसी और सदस्य के पद का सृजन करने का अधिकार राष्ट्रपति में निहित होगा। उन व्यक्तियों की स्थिति में जो 58 वर्ष के हो चुके हैं, चाहे वह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र से हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। इसमें विदेशी तकनीकी कार्मिक शामिल नहीं होंगे, जिनका प्रस्तावित निर्धारित किया जाने वाला वेतन, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के तुल्यांक रू.2500 प्रति मास से अधिक है ।

चट्रस्टियों की नियुक्तिछ

(7) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को (चाहे वे निगमित हो या नहीं), कंपनी की किसी सम्पति को, या जिसमें उनकी रूचि है या अन्यथा जिसका कंपनी के मामलों से संबंध है, तो कंपनी के लिए न्यास (ट्रस्ट) में स्वीकार या धारण करना और किन्हीं विलेखों को या बातों को निष्पादित करना जिनकी ऐसे किसी ट्रस्ट के संबंध में अपेक्षा है और ऐसे ट्रस्टी या ट्रस्टियों के लिए पारिश्रमिक की व्यवस्था करना।

चकानूनी कार्रवाई शुरू करना और उसकी सफाई में कार्य करनाछ

(8) कंपनी के मामलों से संबंधित अन्यथा या कंपनी या इसके अधिकारियों द्वारा या उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाइयां शुरू करना, चलाना, उनके बचाव में कार्य करना, समझौता करना या उन्हें छोड़ देना और साथ ही कंपनी द्वारा या उसके विरूद्ध किन्हीं दावों या मांगों के भुगतान या प्रशमन के लिए समय देना और समझौता करना।

चकिसी दावे को मध्यस्थता के लिए भेजनाछ

(9) कंपनी द्वारा या कंपनी के विरूद्ध किन्हीं दावों या मांगों को मध्यस्थता के लिए भेजना और दिए गये पंचाट को स्वीकार करना और उसे कार्यान्वित करना।

चरसीदें तैयार करना और उन्हें देनाछ

(10)कंपनी को देय धन के लिए और कंपनी की मांगों और दावों के लिए रसीदें, निर्मोचन (रिलीज) और अन्य उन्मोचन (डिस्चार्ज) तैयार करना और उन्हें देना।

चस्वीकृति के लिए प्राधिकृत करनाछ

(11)यह निर्धारण करना कि कंपनी की ओर से बिलों, टिप्पणियों, रसीदों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों, चैकों, निर्मोचनों, संविदाओं और दस्तावेजों पर कौन हस्ताक्षर करेगा।

चअटर्नी के एजेंट नियुक्त करनाछ

(12)समय-समय पर ऐसे तरीके से कंपनी के मामलों में प्रबंध के लिए व्यवस्था करना जिन्हें वे उपयुक्त समझे और विशेष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे अधिकारों के साथ (औरों को अधिकार प्रदत्त करनेसहित) और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वे उपयुक्त समझे, कंपनी के अटर्नी या एजेंट नियुक्त करना।

चधन का निवेश करनाछ

(13)रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया या अन्य ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करना जिनका अनुमोदन राष्ट्रपति करें और ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप प्राप्त धन, जैसा कि कंपनी के संगम ज्ञापन में प्राधिकृत किया गया है (जोकि इस कंपनी के शेयर नहीं होंगे) की ऐसी तरीके से व्यवस्था करना जिन्हें वे उपयुक्त समझे और समय-समय पर ऐसे निवेशों को बदलते रहें या वसूल करते रहें।

(14) कंपनी के नाम में और कंपनी की ओर से किसी निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कंपनी की ऐसी संपत्तियों (वर्तमान और भविष्यकालीन) को बंधक रखने के लिए एक विलेख निष्पादित करना जैसे कि वे उपयुक्त समझे जो कंपनी के लाभ के लिए कोई व्यक्तिगत देयता अपने ऊपर ले सकें या ले सकने के लिए तैयार है, ऐसे किसी बंधक (दस्तावेज) में बेचने के अधिकार और अन्य ऐसे अधिकार प्रसंविदा और प्रावधान शामिल होंगे, जिनके बारे में सहमति होगी। च्क्षतिपूर्ति के रूप में जमानत देनाछ

(15) राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, कंपनी में सेवारत किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट कारोबार के लाभ पर कमीशन देना या कंपनी के सामान्य लाभों पर हिस्सा देना और ऐसा कमीशन या लाभ का हिस्सा, कंपनी के कार्यरत खर्च का भाग माना जाएगा। च्लाभ पर कमीशन देनाछ

(16)समय-समय पर कंपनी के कारोबार के इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विनियम के लिए नियम, विनियम और उपविधियां बनाना, बदलना और / या निरस्त करना। च्नियम,विनियम्‌ ा और उपविधियां बनानाछ

(17)कंपनी के किसी कर्मचारी को या उसकी विधवा, बच्चों या आश्रितों को बोनस, पेंशन, उपदान या प्रतिकर देना या देने की अनुमति देना, जो निदेशकों को न्यायपूर्ण और उपयुक्त लगें चाहें ऐसे कर्मचारी, उसकी विधवा, बच्चों या आश्रितों का कंपनी पर कोई कानूनी दावा था या नहीं था। च्बोनस देनाछ

(18)सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धांतों, यदि कोई हो तो, के अनुसार कंपनी के कारोबार को चलाने के लिए नियमों और विनियमों का निर्माण करना और उन्हें लागू करना। च्कंपनी के कारोबार को चलाने के लिए नियम और विनियमछ

(19)कोई लाभांश घोषित करने से पूर्व और राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के लाभों के ऐसे भाग को अलग रखना जिन्हें वे उपयुक्त समझे, ताकि उससे ऐसी निधि का निर्माण किया जा सके जिसमें से ऐसे पेंशन, उपदान और प्रतिकर दिये जा सकें, या ऐसे तरीके से किसी भविष्य निधि का गठन किया जाए जिसे निदेशक उपयुक्त समझें। च्भविष्य निधि का सर्जनछ

(20) समय-समय पर या किसी समय विशेष पर भारत में किसी विशिष्ट स्थान या भारत से बाहर कंपनी के किन्हीं मामलों का प्रबंध करने के लिए स्थानीय मंडल की स्थापना करना और किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को ऐसे स्थानीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त करना और उनकी परिलब्धियां नियत करना और समय-समय पर और किसी समय विशेष पर इस प्रकार नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को किन्हीं ऐसे अधिकारों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों को प्रत्यायोजित करना जो इस समय निदेशकों में निहित है, जोकि धन मंगाने के अधिकारों के अनुरूप है और ऐसे किसी स्थानीय मंडल के सदस्यों या उनमें से किसी एक को प्राधिकृत करना, उनमें से किसी रिक्ति को भरना, और ऐसी किन्हीं रिक्तियों के बावजूद कार्य करना और ऐसी कोई नियुक्ति या ऐसा कोई प्रत्यायोजन ऐसी शर्तों पर दिया जाए या ऐसी शर्तों के अधीन किया जाए जिन्हें निदेशक उपयुक्त समझे। निदेशक किसी समय इस प्रकार नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को हटा सकते हैं या ऐसे किसी प्रत्यायोजन को समाप्त कर सकते हैं, या बदल सकते हैं। च्स्थानीय मंडल की स्थापनाछ

(21) कंपनी के नाम में और कंपनी की ओर ऐसी सभी वार्ताओं और संविदाओं में शामिल होना और ऐसी सभी संविदाओं को निरस्त करना या उन्हें परिवर्तित च्संविदाएं करनाछ

करना और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों या बातों को निष्पादित करना जिन्हें वे उपयुक्त समझे या कंपनी के प्रयोजनों के लिए इनमें पहले कहे गये हो, या और

च्अधिकारों का उप-प्रत्यायोजनछ		(22) फिलहाल उनमें निहित सभी या उनमें से कुछ अधिकारों, प्राधिकारों और विवेकाधिकार का प्रत्यायोजन करना। यह इसके अधीन होगा कि अंतिम नियंत्रण और प्राधिकार उसी में ही निहित रहेगा।
च्जब राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होती हैछ		(23) भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के अधीन, आवश्यकतानुसार, क. कंपनी के उद्यम को पूर्ण रूप से या काफी हद तक बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा उसका निपटान करना; ख. एक कंपनी को प्रोन्नत करना; ग. पूँजी को विभिन्न वर्गों के शेयरों में विभाजित करना; घ. लाभों में हिस्सेदारी के लिए साझेदारी करना और/या ऐसी किसी व्यवस्था में शामिल होना; ङ. कंपनी को समाप्त करना; च. कर्मचारियों की सेवा की सामान्य शर्तों पर लागू होने वाले, कर्मचारी भविष्य निधि पर लागू होने वाले कंपनी के नियम बनाना और उनसे संबंधित नियम बनाना और आरक्षित और विशेष निधियों का सर्जन करना।
च्शक्तियों का प्रत्यायोजनछ	86.	(क) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन जिन्हें कोई आरोपित करना उपयुक्त समझे बोर्ड समय-समय पर ऐसी शक्तियों (अधिकारों) का, जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझे और जिनके बोर्ड द्वारा बैठक में उपयोग किये जाने की संभावना नहीं है, निदेशकों की स्थाई/कार्यपालक समिति, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकता है। और बोर्ड समय-समय पर इस प्रकार प्रत्यायोजित की गई सभी शक्तियों या उनमें से किसी को रद्द, संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। (ख) कंपनी के मुख्य कार्यपालक के रूप में प्रबंध निदेश समय-समय पर अपनी शक्तियों को कार्यकारी निदेशकों और/ या महा प्रबंधकों और/या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को जिसे वे उपयुक्त समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है ।

निदेशकों की बैठकें

च्निदेशकों की बैठक और कोरमछ	87.	निदेशक कारोबार के विस्तार के लिए अपनी बैठक और कार्रवाई कर सकते हैं, उसे स्थगित कर सकते हैं या उसका अन्यथा विनियमन कर सकते हैं। तथापि बोर्ड की बैठक तीन कैलेन्डर मासों में एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 285 के अधीन व्यवस्था की गई है और कारोबार करने के लिए आवश्यक कोरम इसकी कुल संख्या का एक तिहाई (यदि एक तिहाई में कोई भिन्न आ जाती है तो उसे पूर्ण संख्या पर पूरा कर लिया जाएगा) या दो निदेशक होंगे, इनमें से जो भी अधिक हो।
च्बैठक का स्थानछ	88.	बोर्ड की बैठक पंजीकृत कार्यालय या भारत में किसी अन्य स्थान पर आयोजित हो सकती है जैसा कि इस बारे में कंपनी समय-समय पर फैसला करें।
च्निदेशक बैठक बुला सकते हैं। मामले का फैसला कैसे होगाछ	89.	कोई निदेशक किसी भी समय निदेशकों की बैठकों का आयोजन कर सकता है। किसी बैठक में उठाये गये मामलों का फैसला बहुमत से होगा । अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

90. राष्ट्रपति एक निदेशक को कंपनी/निदेशकों की बैठक का अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं और उस अवधि का निर्धारण कर सकते हैं और जिसके लिए वह इस पद पर बना रहेगा और ऐसा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा यदि किसी बैठक में बैठक के शुरू होने से 15 मिनटों तक कोई अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपस्थित निदेशक सदस्यों में किसी एक को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं। च्निदेशकों की बैठक का अध्यक्षछ

91. निदेशकों की बैठक, जिसका फिलहाल कोरम पूरा है, तो वह बैठक कंपनी के अनुच्छेदों के अधीन उन सभी या उनमें से कुछ प्राधिकारों, अधिकारों और विवेकाधिकार का उपयोग करने में सक्षम होगी, जो आम तौर पर निदेशकों में निहित होते हैं और उन्हीं के द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं। च्कोरम की उपस्थिति में बोर्ड के अधिकारछ

92. अध्यक्ष निदेशक मंडल के प्रस्तावों या निर्णयों को या बोर्ड के समक्ष लाये गये किसी भी मामले को, जिसमें अध्यक्ष की राय में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और जो उस कारण केंद्रीय सरकार के निर्णयों के लिए आरक्षित करने के योग्य है, केन्द्रीय सरकार के फैसलों के लिए आरक्षित रख सकते हैं। च्अध्यक्ष के अधिकारछ

पूर्वोक्त के अनुसार केन्द्रीय सरकार के निर्णयों के लिए आरक्षित रखे गये निदेशकों के किसी प्रस्ताव या निर्णय के बारे में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसका अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

93. यदि कोई अध्यक्ष नहीं चुना जाता है तो समिति अपनी बैठक के लिए अध्यक्ष चुन सकती है, या यदि किसी बैठक में उसके आयोजित किये जाने के लिए निश्चित समय से पांच मिनटों के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते तो उपस्थित सदस्य, उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं। च्बैठकों का अध्यक्षछ

94. निदेशक इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई कंपनी की पुस्तकों में बैठक का कार्यवृत्त रिकार्ड कराएंगे। यह अधिनियम की धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार होगा ; इसमें इनका उल्लेख किया जाएगा : च्निदेशक पुस्तकों में कार्यवृत्त रिकार्ड करायेंगेछ

क) निदेशकों द्वारा की गई अधिकारियों की सभी नियुक्तियों का
ख) ऐसी निदेशकों की बैठक या निदेशकों की किसी समिति में उपस्थित सभी निदेशकों के नामों का;
ग) कंपनी की सभी बैठकों और निदेशकों की बैठकों और निदेशक की समितियों की सभी बैठकों में सभी संकल्पों, और कार्यवृत्तों का,

और निदेशकों की बैठक या निदेशकों की समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक निदेशक इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में हस्ताक्षर करेगा।

95. जहां कंपनी की किसी साधारण बैठक या बोर्ड की किसी बैठक का निदेशकों की समिति की कार्यवाही के, अधिनियम की धारा 193 के प्रावधान के अनुसार रखे गये हैं, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित नहीं हो जाता, तब तक इस बैठक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे विधिवत आहूत और आयोजित किया गया था और उसकी सभी कार्यवाहियाँ उपयुक्त रूप से की गई हैं और विशेष रूप से निदेशकों और परिसमापकों (लिक्विडेटर) की बैठक में की गई सभी नियुक्तियां वैध समझी जाएंगी। च्जहां कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर लिये गये इससे क्या संभावना की जा सकती हैछ

96. निदेशकों की किसी बैठक या निदेशकों की समिति या निदेशक के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य इस बात के बावजूद कि उनके बारे में बाद में पता चलता है कि ऐसे निदेशकों या निदेशक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति में कोई दोष था, या वे या उनमें से कोई एक अयोग्य करार दिया गया था, उतने ही वैध होंगे जैसा कि हरेक ऐसे व्यक्ति की विधिवत नियुक्ति हुई है च्दोषपूर्ण नियुक्तियों के बावजूद जब निदेशकों या समिति के

और वह निदेशक बनने के योग्य थे। कार्य वैध हैछ

बशर्ते कि कंपनी के किसी निदेशक की नियुक्ति को कंपनी को दिखाये जाने के पश्चात कि वह अवैध है और उस नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है, उस निदेशक द्वारा किसी भी कार्य को इस अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार वैध करने वाला नहीं माना जाएगा।

च्समितियों को अधिकारों का प्रत्यायोजनछ	97.	अधिनियम की धारा 292 और 297 के प्रावधानों के अधीन, निदेशक अपने अधिकारों में से किसी को कंपनी संस्थान के ऐसे सदस्य या सदस्यों की समिति को प्रतिनिहित कर सकते हैं, जिसे वे उपयुक्त समझे और समय-समय पर ऐसे प्रत्यायोजन का प्रति संहरण कर सकते हैं। इस प्रकार गठित कोई भी समिति इस प्रकार प्रतिनिहित अधिकारों के उपयोग में इन विनियमों के अनुरूप हो सकती है जिन्हें निदेशकों द्वारा समय-समय पर इस पर आरोपित किया जा सकता है। ऐसी समिति की कार्यवाहियों को निदेशक मंडल की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
च्बोर्ड की बैठक में बिना परिचलित किया गया संकल्प वैधछ	98.	अधिनियम की धारा 292 के अधीन दी गई सीमाओं के अधीन, निदेशक मंडल के संकल्प निदेशक मंडल के सदस्यों को परिचालन द्वारा पारित किये जा सकते हैं और वे उतने ही वैध और प्रभावी होंगे जैसे कि उन्हें विधिवत आहूत और गठित निदेशकों की बैठक में पारित किया गया हो। ऐसे किसी संकल्प को, तथापि, परिचालन द्वारा बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा विधिवत पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस संकल्प को, प्रारूप के रूप में अन्य कागजात के साथ, यदि कोई हो तो, उस समय भारत में उपस्थित सभी निदेशकों या समिति के सदस्यों (इनकी संख्या स्थिति, बोर्ड या समिति की बैठक के लिए नियत कोरम की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए) और अन्य निदेशकों और सदस्यों को उनके भार के सामान्य पत्र पर परिचालित नहीं किया जाता और उसका अनुमोदन उस समय भारत में उपस्थित सभी निदेशकों ने कर दिया हो या उनके बहुमत से उसका अनुमोदन कर दिया हो जिन्हें उस संकल्प पर मतदान करने का अधिकार है।

च्कुछ संविदाओं के लिए बोर्ड का संकल्प आवश्यकछ

99.(1) कंपनी के निदेशक मंडल की स्वीकृति के सिवाय, कंपनी का निदेशक या उसका कोई संबंधी, वह फर्म जिसमें निदेशक या उसका कोई संबंधी, भागीदार है, उस फर्म का कोई और भागीदार या वह निजी कंपनी जिसका निदेशक सदस्य है या निदेशक है, कंपनी के साथ किसी प्रकार की संविदा नहीं करेगा,

क) किसी समान सामग्री या सेवाओं की बिक्री, खरीद या आपूर्ति के लिए, या

ख) कंपनी में किन्हीं शयरों की योगदान की हामीदारी के लिए।

(2) उक्त धारा (1) में दी गई व्यवस्थाओं का निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं होगा:-

क) किसी निदेशक, संबंधी, फर्म साझीदार या प्राइवेट कंपनी, जैसा कि ऊपर कहा गया है द्वारा नगद या विद्यमान बाजार भाव पर सामान और सामग्री की बिक्री या कंपनी से सामान और सामग्री की खरीद; या

ख) एक ओर कंपनी और दूसरी ओर ऐसे निदेशक, संबंधी, फर्म, साझीदार या निजी कंपनी के बीच या ऐसे किसी सामान सामग्री और सेवाओं के लिए किसी संविदा या संविदाओं पर जिनमें या तो कंपनी या निदेशक, संबंधी, फर्म, भागीदार या निजी कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, नियमित रूप से व्यापार या कारोबार करते हैं;

बशर्ते कि ऐसी संविदा या ऐसी संविदाओं का उन सामान और सामग्री से संबंध नहीं, जिनका मूल्य, या सेवाओं की स्थिति जिनकी कीमत किसी वर्ष में कुल मिलाकर पांच हजार रूपये से अधिक नहीं, जो संविदा या संविदाओं की अवधि में गुजरा हो।

(3) पूवोर्क्त धारा (1) और (2) में कुछ भी दिये होने के बावजूद, एक निदेशक, संबंधी, फर्म, भागीदार या निजी कंपनी जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अत्यंत आवश्यकता की परिस्थितियों में, बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी सामान, सामग्री या सेवाओं की बिक्री, खरीद या आपूर्ति के लिए कंपनी से संविदा करते हैं, चाहे संविदा की अवधि के किसी वर्ष में ऐसे सामान का या

ऐसी सेवाओं का मूल्य कुल मिलाकर 5 हजार रुपयों से अधिक हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बोर्ड की स्वीकृति संविदा किये जाने की तारीख से तीन महीने के अंदर हुई बैठक में प्राप्त कर ली जाएगी।

(4) इस अनुच्छेद के अधीन अपेक्षित बोर्ड की प्रत्येक स्वीकृति, बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के माध्यम से प्रदान की जायेगी और अन्यथा नहीं, और ऊपर दी गई धारा (1) के अधीन अपेक्षित बोर्ड की स्वीकृति उस धारा के अर्थ के भीतर तब तक प्रदान की हुई नहीं मानी जायेगी जब तक की संविदा में शामिल होने से पूर्व या संविदा में शामिल होने की तारीख से तीन मास की अवधि में स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती।

(5) यदि इस अनुच्छेद के अधीन किसी संविदा को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती, तो संविदा के अनुसरण में किया गया कुछ भी कार्य बोर्ड के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।

(6) इस प्रकार संविदा करने वाले या इस प्रकार रूचि लेने वाले निदेशक ऐसे किसी संविदा से वसूल किये गये किसी लाभ के लिए या इस प्रकार स्थापित विश्वासार्ह संबंध के लिए कंपनी के प्रति किसी प्रकार से देय नहीं होंगे।

कंपनी का सील

100. किसी प्रपत्र (शेयर प्रमाणपत्र को छोड़कर) पर निदेशक मंडल के संकल्प के प्राधिकार के और कम से कम एक निदेशक की उपस्थिति के सिवाय सील नहीं लगाई जाएगी, बशतंरे कि, तथापि निदेशक मंडल एक संकल्प द्वारा प्रबंध निदेशक को या किसी अन्य निदेशक को किसी प्रपत्र पर (शेयर प्रमाणपत्र के अलावा) सील लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। जब भी कानूनी तौर पर इसकी आवश्यकता हो शेयर प्रमाणपत्र की स्थिति में, सील (1) दो निदेशकों या विधिवत पंजीकृत मुख्तारनामे के अधीन निदेशक की ओर से कार्य करनेवाले व्यक्तियों और (2) सचिव या इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में लगाई जाएगी। च्कंपनी सीलछ

लाभांश

101. उपस्थित व्यक्तियों द्वारा सृजित या सृजित किये जाने के लिए प्राधिकृत लाभांश से संबंधित किसी विशेष अधिकार के अधीन और आरक्षित निधि के बारे में उपस्थितों के प्रावधानों के अधीन लाभांशों के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभों को राष्ट्रपति के अनुमोदन से सदस्यों में उनके द्वारा धारण की गई पूँजी की राशि के समानुपात में बांटा जाएगा। बशर्तें कि (पूर्वोक्त के अधीन) इस अवधि के दौरान किसी शेयर पर प्रदत्त पूँजी, जिसके बारे में लाभांश की घोषणा की गई है, इस शेयर के धारक को ऐसे लाभांश की उस मांग की राशि का हकदार बनाएगी जैसे वह भुगतान की तारीख से हो। च्लाभांशछ

102. जहां किसी शेयर पर पूँजी इस आधार पर मांगे जाने से पूर्व अग्रिम में चुकता कर दी जाती है कि उस पर ब्याज लगायेगी, तो ऐसी पूँजी से, जब तक ब्याज मिलता रहेगा, लाभों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। च्अग्रिम में प्रदत्त पूँजीछ

103. कंपनी के वर्ष के लाभों में से या किसी अन्य अवधि में या कंपनी के अन्य अवितरित लाभों में से ही लाभांश दिया जा सकेगा अन्यथा नहीं और किसी लाभांश पर कंपनी की ओर से कोई ब्याज देय नहीं होगा। च्लाभांश केवल लाभ में से और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।छ

104. कम्पनी अपनी साधारण बैठक में लाभों में सदस्यों के अधिकारों और हितों के अनुसार सदस्यों को दिये जाने वाले लाभांशों की घोषणा कर सकती है और भुगतान के लिए अवधि नियत कर सकती है, लेकिन कोई लाभांश निदेशकों च्लाभांशों की घोषणाछ

द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक नहीं होगा।

च्अंतरिम लाभांशछ	105. निदेशक समय-समय पर सदस्यों को ऐसा अंतरिम लाभांश अदा कर सकते हैं, जो उनके निर्णय के अनुसार, कंपनी की स्थिति न्यायोचित ठहराती है।
च्ऋणों को काटा जा सकता हैछ	106. निदेशक किसी ऐसे लाभांश को अपने पास रख सकते हैं जिन पर कम्पनी का लियन है और वे उसे उन ऋणों, देयताओं या व्यवस्थाओं के लिए, जिनके बारे में लियन मौजूद है, शोधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
च्लाभांश और मांग साथ-साथछ	107. लाभांश की घोषणा करने वाली कोई भी साधारण बैठक, सदस्यों से ऐसी राशि की मांग कर सकती है, जिसका नियतन वह बैठक करती है, लेकिन हरेक सदस्य से मांगी गई राशि उसे दिए जाने वाले लाभांश से अधिक नहीं होगी और उस मांग की राशि को उसी समय देय माना जाए जब उसे लाभांश प्राप्त होता है और यदि कम्पनी और सदस्यों के बीच ऐसी व्यवस्था की जाए तो, लाभांश की मांगी गई राशि से समायोजन किया जा सकता है। इस धारा के अधीन की गई मांग को कम्पनी की उस साधारण वार्षिक बैठक का सामान्य कारोबार समझा जाएगा जिसमें लाभांश की घोषणा की है ।
च्लाभांश या बोनस विशिष्ट परिसंपत्तियों के रूप में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देयछ	108. लाभांश की घोषणा करने वाली कोई साधारण बैठक यह संकल्प कर सकती है कि ऐसे लाभांश का पूर्णत: या आंशिक रूप से विशिष्ट परिसम्पतियों के वितरण द्वारा भुगतान किया जा सकता है और विशेष रूप से कम्पनी के प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों या डिबेंचर स्टाक के रूप में या किसी अन्य कम्पनी के प्रदत्त शेयरों, डिबेंचर स्टाक के रूप में या इनमें से किसी एक या अनेक तरीकों में कोई भी साधारण बैठक यह संकल्प कर सकती है कि आरक्षित निधि के रूप में जमा या कंपनी के हाथ में कम्पनी के अविभाजित लाभों के अंश रूप में निधियों, निवेशों या अन्य परिसम्पत्तियों, जो कि लाभांश के रूप में या शेयरों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम के रूप में हैं और जो शेयर प्रीमियम लेखे में जमा है, का पंजीकरण किया जा सकता है और उन्हें इस आधार पर उनके अधिकारों के अनुसार वितरित किया जा सकता है, जिसके वे उस पूँजी में हकदार हैं और ऐसी पूरी पूँजीगत निधि या उसके किसी अंश का इस्तेमाल शेयरधारकों की ओर से किया जा सकता है। उन्हें कंपनी के जारी न किये गये शेयरों का भुगतान करने के लिए और इस प्रकार पूर्णत: चुकता किए गए जारी न किए गए शेयरों को तदनुसार शेयरधारकों के बीच उस समानुपात में बांटा जा सकता है जिसमें वे लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और उनके द्वारा वे उक्त पंजीकृत राशि में उनके हित के पूर्ण समाधान के लिए स्वीकार किये जाएंगे। इस अनुच्छेद के अधीन किसी संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से निदेशक वितरण से संबंधित किसी कठिनाई का समाधान आवश्यकतानुसार कर सकते हैं और विशेष रूप से भिन्नात्मक प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं और किसी विशिष्ट परिसम्पति के वितरण के लिए मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, और यह निर्धारण कर सकते हैं कि इस प्रकार नियत किए गए मूल्य के आधार पर किन्हीं सदस्यों को नकद भुगतान किया जा सकता है या एक रूपये से कम के भाग को छोड़ दिया जाये ताकि सभी पक्षों के अधिकारों का समायोजन किया जा सके और लाभांश या पंजीकृत निधि के लिए हकदार व्यक्तियों के लिए ट्रस्टों के ट्रस्टियों में विशिष्ट परिसम्पत्तियों के ऐसे कोई मामले निहित कर सकते हैं, जो निदेशकों को उपयुक्त प्रतीत हों। जहां अपेक्षा हो, अधिनियम की धारा 75 के अनुसार उपयुक्त संविदा भरी जाएगी, वहां निदेशक किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की ओर से ऐसी संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, जो लाभांश या पूँजीगत निधि का हकदार है और ऐसी नियुक्ति प्रभावी होगी।
च्स्थानांतरण का प्रभावछ	109. इस स्थानांतरण के पश्चात और स्थानांतरण के पंजीकरण से पूर्व शेयर के स्थानांतरण से उस पर घोषित किसी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार

स्थानांतरित नहीं हो जाएगा।

110. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निदेशक उन शेयरों पर देय लाभांश का प्रतिधारण कर सकते हैं, जिनके बारे में कोई व्यक्ति पारेषण धारा [अनुच्छेद-24(ख)] के अधीन सदस्य बनने का हकदार है या जो व्यक्ति उस धारा के अधीन स्थानांतरण के लिए हकदार है, जब तक वह व्यक्ति उन शेयरों के बारे में सदस्य नहीं बन जाता या विधिवत उनका स्थानांतरण नहीं कर देता । च्कुछ मामलों में प्रतिधारणछ

111. कई व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, जो किसी शेयर के संयुक्तधारकों के रूप में पंजीकृत है, ऐसे शेयरों के बारे में लाभांशों की बाबत भुगतानों और सभी लाभांशों के लिए प्रभावी रसीदें दे सकता है। च्संयुक्तधारकों को लाभांशछ

112. किसी लाभांश, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथा के बारे में नोटिस पंजीकृत शेयरों के धारकों को दी जाएगी। नोटिस भेजने के तरीकों के बारे में नीचे प्रावधान दिए गए हैं। च्लाभांश के नोटिसछ

113. जब तक अन्यथा निदेशित न किया जाये, कोई लाभांश चेक या वारंट द्वारा उस सदस्य या हकदार व्यक्ति के पते पर या संयुक्त धारकों की स्थिति में उस व्यक्ति के पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा, जिसका नाम संयुक्त धारणा के बारे में रजिस्टर में सबसे पहले दिया गया है और इस प्रकार भेजा गया हरेक चेक या वारंट उस व्यक्ति को देय बनाया जाएगा जिसे यह भेजा जा रहा है। दावे न किए गये किसी लाभांश को तब तक बोर्ड द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह दावा विधि द्वारा वांछित नहीं हो जाता और कम्पनी दावा न किए गए या अदा न किए गये लाभांश के बारे में अधिनियम की धारा 205-क के सभी प्रावधानों का अनुपालन करेगी। च्लाभांश का भुगतानछ

<u>लेखे</u>

114. कंपनी हर लिहाज से अधिनियम की धारा 209 का अनुपालन करेगी और निम्न के बारे में उपयुक्त लेखा पुस्तकों को रखवाने की व्यवस्था कराएगी: च्लेखे रखे जाएंगेछ
   क) कम्पनी द्वारा प्राप्त और खर्च किये गये सभी धन और वे मामले जिनके बारे में, प्राप्तियां और व्यय हुए थे।
   ख) कंपनी द्वारा किये गये सभी माल का क्रय और विक्रय ।
   ग) कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के बारे में ।

115. लेखा पुस्तकें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में या भारत में किसी ऐसे स्थान पर रखी जायेगी जिसे निदेशक उपयुक्त समझेंगे और निदेशकों द्वारा काम के घंटों के दौरान उनका निरीक्षण किया जा सकेगा। च्लेखा पुस्तकों का निरीक्षणछ

116. निदेशक समय-समय पर यह निर्धारण करेंगे कि क्या और किस सीमा तक और कौन से स्थानों और समयों पर और किन शर्तों और विनियमों के अधीन लेखे और कंपनी की पुस्तकें या उनमें से कोई (जो कि निदेशक नहीं है) ऐसे सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए मुक्त रहेंगी और किसी भी सदस्य (जो कि निदेशक नहीं है) को कंपनी के किसी लेखे या पुस्तक या दस्तावेज का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय विधि द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाओं या निदेशकों द्वारा किये गये प्राधिकार के अधीन या साधारण बैठक में कंपनी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर।

117. निदेशक किसी तारीख को जोकि कंपनी के निगमन के 18 मास बाद नहीं होनी चाहिये और बाद में वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार कंपनी के समक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में निगमन के पश्चात पहले लेखे की स्थिति में एक तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा प्रस्तुत करेंगे। अन्य किसी स्थिति में जब से पिछले लेखों को अद्यतन बनाया गया है बैठक की तारीख से छः मास से पूर्व च्वार्षिक लेखे और तुलन-पत्रछ

नहीं या उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (1) के दूसरे प्रावधानों के अधीन बैठक आयोजित करने की सीमा बढ़ाई गई है, छः मास से और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि द्वारा।

च्निदेशकों की वार्षिक रिपोर्टछ	118.	निदेशक, अधिनियम की धारा 217 के अनुसार, हर तुलन-पत्र के साथ कंपनी की हालात के बारे में एक रिपोर्ट, उनके द्वारा लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने के लिए सिफारिश की गई राशि यदि कोई हो, तो और वह राशि यदि कोई हो, तो जिसे वे आरक्षित निधि, सामान्य आरक्षित निधि या तुलन-पत्र में विशिष्ट रूप से दिखाये, आरक्षित लेखे में ले जाने का प्रस्ताव करते हैं या उस आरक्षित निधि, सामान्य आरक्षित लेखे में ले जाने का प्रस्ताव करते हैं, जिसे विशिष्ट रूप से बाद के तुलन-पत्र में दिया जाएगा, संलग्न करेंगे। उस रिपोर्ट पर निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा निदेशकों की ओर से हस्ताक्षर किये जाएंगे, यदि उन्हें इस बारे में निदेशक की ओर से प्राधिकृत किया जाएगा।
च्लाभ-हानि लेखे की अंतर्वस्तुछ	119.	अधिनियम की धारा 211 में दिये गये प्रावधानों के अधीन और उसमें निर्दिष्ट अनुसूची छ: के अधीन लाभ-हानि लेखे में, अत्यधिक सुविधाजनक शीर्षकों के अन्तर्गत व्यवस्थित, सकल आय की राशि, उसे कहाँ से प्राप्त किया गया ऐसे सभी स्त्रोतों का उल्लेख करते हुए और सकल व्यय की राशि, जिसमें स्थापना, वेतनों और इसी प्रकार के अन्य मामलों के लिए दिए गये व्ययों का उल्लेख किया जायेगा, दिखाए जायेंगे। व्यय की प्रत्येक मद, जिसे वर्ष की आय के प्रति उपयुक्त रूप से प्रभारित किया जा सकता है, इस प्रकार से हिसाब किया जायेगा ताकि लाभ और हानि का उपयुक्त संतुलन बैठक में प्रस्तुत किया जा सके और ऐसे मामलों में, जिसमें व्यय की कोई मद, जिसे औचित्यपूर्ण ढंग से कई वर्षों में वितरित किया जा सकता है, उसके एक ही वर्ष में खर्च किया गया है तो, ऐसी मद की पूरी राशि, को यह कारण देते हुए उल्लिखित किया जाएगा कि क्यों ऐसे व्यय का एक भाग ही उस वर्ष की आय के प्रति प्रभारित किया गया है।
च्तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे को सदस्य को भेजनाछ	120.	कम्पनी ऐसे तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे की एक प्रति और उसके साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और ऐसा हरेक दस्तावेज जिसे विधिवत संलग्न किया जाना अपेक्षित है, को कम्पनी के हरेक सदस्य को उसके पंजीकृत पते पर ऐसे तरीके से भेजेगी जिसमें इस बारे में नोटिस दिये जाते हैं।
च्निदेशकों को अधिनियम की धारा 209-211 और 215-222 तक का अनुपालन करना होगाछ	121.	निदेशक हर लिहाज से अधिनियम की धारा 209-211 और 215 और 222 के प्रावधानों का या फिलहाल लागू उनके अन्य सांविधिक संशोधनों का अनुपालन करेंगे।
च्लेखाओं की हर वर्ष लेखा परीक्षा की जाएगीछ	122.	हर वर्ष कम से कम एक बार कंपनी के लेखों की जांच की जाएगी और एक या अनेक लेखा परीक्षकों द्वारा लाभ और हानि लेखे और तुलन-पत्र सही होने को सुनिश्चित किया जाएगा।
च्लेखा परीक्षकों की नियुक्तिछ	123.	लेखा परीक्षक की नियुक्ति या पुन:नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श पर कम्पनी लॉ-बोर्ड द्वारा की जाएगी और उसके पारिश्रमिक का नियतन कंपनी लॉ-बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
च्बैठक में उपस्थित होने का लेखा परीक्षक का अधिकारछ	124.	कंपनी के लेखा परीक्षकों को ऐसी हर उस बैठक के बारे में नोटिस प्राप्त करने और किसी सामान्य बैठक में उपस्थित रहने का अधिकार होगा, जिसमें उनके द्वारा जांचे गये और रिपोर्ट किये गये किन्हीं लेखाओं को कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। उसमें वे कोई वकतव्य या व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे वे

लेखाओं के बारे में प्रस्तुत करना चाहते हैं।

125. भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे: च्नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षकों के अधिकारछ
क) उस तरीके के बारे में निदेश करने का, जिसमें अनुच्छेद 123 के अनुसरण में नियुक्त किये गये लेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा की जाएगी और ऐसे लेखा परीक्षकों को ऐसे अनुदेश देना जिनका संबंध इस रूप में उसके कार्यों के निष्पादन से हो,
ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अनुपूरक या परीक्षण लेखा परीक्षा कराना, जिसे वे इस बारे में प्राधिकृत करें; और ऐसे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसे मामलों के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे रूप में सूचना या अतिरिक्त सूचना की व्यवस्था करना, जैसे नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश करें।

126. पूर्वोक्त लेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर इस प्रकार से टिप्पणी करने या उसमें कुछ और जोड़ने का अधिकार होगा जिसे वे उपयुक्त समझे। लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ऐसी कोई भी टिप्पणी या अनुपूरक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को उसी समय और उसी तरीके से कंपनी की साधारण बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट। च्लेखा परीक्षकों की अनुपूरक रिपोर्ट पर नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी को साधारण बैठक के समक्ष प्रस्तुत करनाछ

निदेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार

127. इनमें से किसी अनुच्छेदों में कुछ भी दिये होने के बावजूद, राष्ट्रपति समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें वे कम्पनी के निदेशकों या कम्पनी के मामलों या उसके कारोबार के बारे में आवश्यक समझते हैं और इसी प्रकार से ऐसे किसी निदेश को परिवर्तित या निरस्त कर सकते हैं। इस प्रकार जारी किए गये निदेशों को निदेशक तुरन्त प्रभावी करेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में अधिकार होंगे: च्निदेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकारछ

i. राष्ट्रीय सुरक्षा या पर्याप्त सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों में कंपनी के कार्यों के उपयोग या निष्पादन के लिए कंपनी को निदेश देना और यह सुनिश्चित करना कि कंपनी इन निदेशों को अमल में लाती है:
ii. कंपनी की संपत्ति और कार्यकलापों के लिए ऐसे विवरण, लेखे और अन्य सूचनाएं मंगाना जिनकी समय-समय पर आवश्यकता हो;
iii. पूँजी की राशि उठाए जाने के लिए प्राधिकृत करना और इसे उठाने के लिए इसकी शर्तें तय करना।
iv. कंपनी के विकास के लिए पंचवर्षीय और वार्षिक योजना का और कंपनी के पूँजीगत बजट का अनुमोदन करना।
v. कंपनी के राजस्व बजट का अनुमोदन करना, यदि उसमें घाटे का तत्व है, जिसे सरकार से धन प्राप्त कर पूरा करने का प्रस्ताव है।
vi. कंपनी द्वारा विदेशी सहयोग के लिए जो करार किए जाने का प्रस्ताव है उनका अनुमोदन करना और मुख्य स्वरूप के खरीददारियों और संविदाओं का अनुमोदन कराना जिनमें पर्याप्त पूँजीगत परिव्यय होने की संभावना है जोकि कंपनी में निहित अधिकारों से कहीं अधिक है।

नोटिस

128. कंपनी द्वारा किसी सदस्य को या तो व्यक्तिगत रूप से या उस पंजीकृत पते च्सदस्यों को

पर, डाक द्वारा भेजकर नोटिस दिया जा सकता है या (उसका पंजीकृत पता न हो तो) उसे उसके ऐसे पते पर यदि कोई हो, तो जो उसने कंपनी को नोटिस भेजने के लिए दे रखा हो।

नोटिस किस प्रकार दिये जाने हैंछ

च्पंजीकृत शेयरों के शेयर धारियों द्वारा पते की अधिसूचना जिनके पते का कोई पंजीकृत स्थान नहीं हैछ	129.	पंजीकृत शेयरों का धारक जिसका पते का कोई पंजीकृत स्थान नहीं है, कंपनी को समय-समय पर लिखित रूप में एक पता अधिसूचित कर सकता है, जिसे पिछले पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अर्थों के भीतर, उसके पंजीकृत पते का स्थान माना जाएगा।
च्जब नोटिस विज्ञापन द्वारा दिया जा सकता हैछ	130.	यदि किसी सदस्य का कोई पंजीकृत पता नहीं है और उसके कंपनी को ऐसे नोटिस देने के लिए कोई पता नहीं दिया हुआ है, तो उसे संबोधित और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के आस-पास परिचालित होने वाले समाचार पत्र में विज्ञापन देकर यह समझा जा सकता है कि यह नोटिस उसे विधिवत उस दिन दिया गया था जिस दिन विज्ञापन छापा गया था।
च्संयुक्त धारकों को नोटिसछ	131.	किसी शेयर के संयुक्त धारकों को कंपनी द्वारा नोटिस दिए जाने के लिए उस शेयर के बारे में रजिस्टर में संयुक्त धारकों में से जिसका नाम सबसे पहले दिया गया है, उसे नोटिस दिया जा सकता है।
च्किसी मृत या दिवालिया सदस्य के प्रतिनिधि को च्कैसे नोटिस दिया जा सकता हैछ	132.	किसी सदस्य के निधन या दिवालियापन के परिणाम में, शेयर में हकदार व्यक्तियों को कंपनी द्वारा नोटिस दिए जाने के लिए कंपनी द्वारा डाक से उसी नाम से संबोधित पूर्वप्रदत्त पत्र में नोटिस दिया जा सकता है। या उस मृत व्यक्ति के प्रतिनिधियों के खिताब से या दिवालिये के समनुदेशिती को या ऐसे किसी अन्य प्रकार से उस पते (यदि कोई हो, तो) पर जिसे उन व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिया गया था, जो ऐसा होने के हकदार होने का दावा करते हैं। (जब तक कि ऐसा पता इस प्रकार से नहीं दिया जाता है) किसी प्रकार से नोटिस देकर दिया जा सकता है। जोकि यदि सदस्य का निधन न होता या वह दिवालिया न करार दिया जाता, तो दिया जाता।
च्स्थानांतरिती पूर्व नोटिस से बाध्यछ	133.	हर व्यक्ति, जोकि विधि के परिचालन द्वारा अथवा अन्य माध्यमेां से किसी शेयर का हकदार हो जाता है, वह ऐसे शेयर के बारे में हरेक नोटिस से बाध्य होगा जो पहले शेयर धारी के नाम, पते और खिताब से कम्पनी को अधिसूचित किया जाता, उसे विधिवत उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे वह इस शेयर का हक प्राप्त करता है।
नोटिस पर हस्ताक्षर कैसे करेंछ	134.	कम्पनी द्वारा दिये जानेवाले किसी नोटिस पर हस्ताक्षर या मुद्रित हो सकते हैं या लिखित।
च्समय कैसे गिना जाएछ	135.	जहां किसी को कुछ दिये गये दिनों का नोटिस दिया जाना होता है या किसी अवधि को बढ़ाते हुए नोटिस दिये जाने अपेक्षित होते हैं, तो जब तक अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, तामील के दिन को इस प्रकार के दिनेां में या अन्यथा अवधि में शामिल किया गया समझा जाएगा।

समापन

136. यदि किसी कम्पनी को समाप्त कर दिया जाता है और सदस्यों में वितरण के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियां पूर्ण प्रदत्त पूँजी को भुगतान किए जाने के लिए अपर्याप्त हैं, तो ऐसी परिसंपत्तियों को इस प्रकार से वितरण किया जाएगा, ताकि हानि को सदस्यों द्वारा प्रदत्त पूँजी के समानुपात में वहन किया जाएगा या जिन्हें समापन के शुरू होने, चुकता कर दिया जाना था तो सदस्यों में वितरण के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियां, समापन के शुरू होने पर पूर्व प्रदत्त पूँजी के भुगतान से अधिक थे, तो अधिक राशि को सदस्यों के समापन शुरू होने के समय पूँजी के समानुपात में बांट दिया जाएगा। जो क्रमशः उनके द्वारा धारण किए गए शेयरों पर प्रदत्त था या प्रदत्त हो जाना चाहिए था। लेकिन इस धारा का विशेष शर्तों पर जारी किए गए शेयरों के धारकों के अधिकारों पर अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। च्कंपनी के समापन पर परिसंपत्तियों का विभाजनछ

गोपनीयता

137. किसी सदस्य को किसी खोज या सूचना, जिसका किसी संबंध कंपनी के व्यापार के ब्यौरों या ऐसे मामलों से हो या ऐसे मामले से हो जोकि व्यापारिक राज के रूप में हो सकते हैं, व्यापार के रहस्य या गुप्त प्रक्रिया से संबंधित हो सकते हैं, जिनका संबंध कंपनी के कारोबार चलाने के साथ हो, और जो निदेशकों की राय में कंपनी के सदस्यों के हित में उपयुक्त नहीं हो सकता, उसे जनता को संप्रेषित करना, प्राप्त करने के अधिकार नहीं होंगे। च्गोपनीय धाराछ

क्षतिपूर्ति

च्क्षतिपूर्तिछ

138. अधिनियम की धारा 201 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी में हरेक निदेशक, प्रबंधक, लेखा परीक्षक, सचिव और अन्य अधिकारी या कर्मचारी को, कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी और यह निदेशकों का कर्तव्य होगा कि वह कंपनी की नीधियों में से सभी लागतें, हानियों और व्ययों की, कंपनी की निधियों में से प्रतिपूर्ति करेंगे, जो ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी खर्च करें या उसके द्वारा दिए गए किसी कार्य, वस्तु आदि के लिए या उसके द्वारा किए जानेवाले किसी कार्य के लिए देय हो जाए और जिस राशि की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है वह कंपनी की संपत्ति पर लियन हो जायेगा और उसकी सदस्यों के अन्य सभी दावों पर अग्रता होगी।

139. कोई निदेशक या कम्पनी का अन्य कोई अधिकारी कम्पनी के किसी निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, अवहेलनाओं या चूकों के लिए या किसी प्राप्ति या अनुकूलता के किसी अन्य कार्य में या कम्पनी को होनेवाली किसी हानि या किसी खर्च के लिए इसलिए दायी नहीं होगा कि कम्पनी के लिए या उसकी ओर से निदेशकों के आदेश द्वारा अर्जित किसी संपत्ति पर उनका हक अपर्याप्त या दोषपूर्ण या किसी प्रतिभूति में या जिस पर कम्पनी के किसी धन का निवेश किया जाएगा अपर्याप्तता या दोष पूर्णता के लिए या किसी व्यक्ति के दिवालियापन या घोखा-धड़ी के कार्यो के कारण हुए किसी हानि या क्षति के लिए, जिस व्यक्ति के साथ कोई धन, प्रतिभूतियां या ब्याज जमा कराया गया था या न्यायनिर्णय की गलती/या चूक से हुई किसी हानि या किसी अन्य हानि, क्षति या दुर्भाग्य से हुए किसी नुकसान के लिए, जोकि अपने पद का कार्य करते हुए हो सकती है या उसके संबंध में हो सकती है, जब तक कि ऐसी हानि उसकी अपनी लापरवाही या बेईमानी से न हो। च्निदेशकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारीछ

(स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार और उसके प्रपत्र के बारे में अन्य व्ययों को भारत सरकार द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा)।

हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम और पते दिए गये हैं, कंपनी के इन संगम ज्ञापन के अनुसरण में कम्पनी बनाने के इच्छुक हैं और हम हमारे नामों के सामने कम्पनी की पूँजी में शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत हैं:-

क्रम सं.	अंशदाता का नाम	विवरण, व्यवसाय और पता	शेयरों की संख्या	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षी का नाम, विवरण, पता, व्यवसाय और हस्ताक्षर
1	एस.एम केळकर	भारत के राष्ट्रपति की ओर से श्री एस.एम.केळकर, संयुक्त सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा	3(तीन)	एस.एम केळकर	के.पी. श्रीवास्तव, उप सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली
2	रामस्वामी आर. अय्यर	भारत के राष्ट्रपति की ओर से श्री रामस्वामी आर. अय्यर, संयुक्त सचिव, और वित्तीय सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा	2(दो)	रामस्वामी आर. अय्यर	
कुल शेयरों की संख्या 5 (पांच)					

दिनांक 4 मार्च, 1978